

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -01

[नियम 3(1) देखें]

धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए प्रज्ञापना (संविचरणा उदग्रहण)

(केवल नियत तारीख को विद्यमान प्रवजन विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन/अंनितम पहचान	
2. विधिक नाम	
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता	
5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग < निम्नलिखित में से चयन करें >	
(i) सरकार द्वारा यथाअधिसूचित ऐसे माल के विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता	<input type="checkbox"/>
(ii) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले प्रदायकर्ता	<input type="checkbox"/>
(iii) संविचरणा उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता	<input type="checkbox"/>
6. वित्तीय वर्ष जिससे संरचना स्कीम के विकल्प का लिया गया है	2017-18
7. अधिकारिता	केन्द्र राज्य
8. घोषणा – मैं घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार में धारा 10 के अधीन कर के संदाय के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों का पालन किया गया है ।	
9. सत्यापन मैं _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है । <p style="text-align: center;">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर</p> <p style="text-align: center;">नाम</p> स्थान तारीख <p style="text-align: center;">पदनाम/प्रास्थिति</p>	

प्ररूप जीएसटीसीएमपी -02

[नियम 3(2) देखें]

धारा 10 के अधीन कर संदाय के लिए प्रज्ञापना (संविरचना उदग्रहण)

(अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन		
2. विधिक नाम		
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो		
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता		
5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग < निम्नलिखित में से चयन करें >		
(i) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता		<input type="checkbox"/>
(ii) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले प्रदायकर्ता		<input type="checkbox"/>
(iii) संविरचना उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता		<input type="checkbox"/>
6. वित्तीय वर्ष जिससे संरचना स्कीम के विकल्प का लिया गया है		
7. अधिकारिता	केन्द्र	राज्य
8. घोषणा – मैं घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार में धारा 10 के अधीन कर के संदाय के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों का पालन किया गया है ।		
9. सत्यापन मैं _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।  प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर  नाम  स्थान तारीख  पदनाम/प्रास्थिति		



कुल योग																			
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">9. संदत्त कर के ब्यौर</td> <td>विवरण</td> <td>केन्द्रीय कर</td> <td>राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर</td> </tr> <tr> <td>रकम</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>विकलन प्रविष्टि सं०</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>10. सत्यापन</p> <p>मैं _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।</p> <p style="text-align: right;">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर</p> <p style="text-align: right;">नाम</p> <p>स्थान तारीख</p> <p style="text-align: right;">पदनाम/प्रास्थिति</p>										9. संदत्त कर के ब्यौर	विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	रकम			विकलन प्रविष्टि सं०		
9. संदत्त कर के ब्यौर	विवरण	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर																
	रकम																		
	विकलन प्रविष्टि सं०																		

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -04

[नियम 6(2) देखें]

संविरचना उदग्रहण से प्रत्याह्व के लिए प्रज्ञापना/आवेदन

1. जीएसटीआईएन			
2. विधिक नाम			
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो			
4. कारबार के प्रमुख स्थान का पता			
5. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का प्रवर्ग			
(iv) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता	<input type="checkbox"/>		
(v) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले प्रदायकर्ता	<input type="checkbox"/>		
(vi) संविरचना उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता	<input type="checkbox"/>		
6. कारबार की प्रकृति			
7. तारीख जिससे संविरचना स्कीम से प्रत्याह्वण की ईप्सा की गई है	दिन	मास	वर्ष
8. अधिकारिता	केन्द्र	राज्य	
9. संविरचना स्कीम से प्रत्याह्वण के कारण			
10. सत्यापन			
<p>में _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।</p> <p style="text-align: right;">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर</p> <p style="text-align: right;">नाम</p> <p>स्थान</p> <p>तारीख</p> <p style="text-align: right;">पदनाम/प्रास्थिति</p>			

टिप्पण: उस तारीख से, जिससे प्ररूप जीएसटी आइटीसी-01 में संविरचना विकल्प का प्रत्याह्व किया गया है, पूर्ववर्ती तारीख को उपलब्ध स्टॉक पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए पृथक रूप से स्टॉक विवरण दिया जा सकेगा।

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -05

[नियम 6(4) देखें]

संदर्भ सं० << ... >>

<< तारीख >>

सेवा में

जीएसटीआईएन

नाम

पता

**धारा 10 के अधीन कर संदाय के विकल्प की प्रत्याख्यान के लिए**

मेरी जानकारी में आई ऐसी सूचना के आधार पर यह प्रतीत होता है कि आप ने धारा 10 के अधीन संरचना स्कीम के उपभोग के लिए आवश्यक शर्तों और निर्बंधनों का उल्लंघन किया है। अतः मैं आपको निम्नलिखित कारणों से उक्त धारा के अधीन संदाय के विकल्प प्रत्याख्यान करता हूँ। :-

1

2

3

....

? आपको इस सूचना की तामील की तारीख से पंद्रह कार्यदिवसों के भीतर इस सूचना का उत्तर देने का निदेश दिया जाता है।

? आपको दिन/मास/वर्ष को .....बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर होने का निदेश दिया जाता है।

यदि आप नियत तारीख के भीतर उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए हाजिर होने में असफल रहते हैं तो मामले का उपलब्ध अभिलेख और गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा।

हस्ताक्षर

उचित अधिकारी का नाम

पदनाम

अधिकारिता

स्थान

तारीख

**प्ररूप जीएसटीसीएमपी -06**  
**[नियम 6(5 देखें)]**  
**कारण बताओं सूचना का उत्तर**

1.	जीएसटीआईएन	
2.	कारण बताओं सूचना के ब्यौरे	संदर्भ सं०
		तारीख
3.	विधिक नाम	
4.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
5.	कारबार के प्रमुख स्थान का पता	
6.	सूचना का उत्तर	
7.	अपलोड किए गए दस्तावेजो की सूची	
8.	सत्यापन	<p>में _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।</p> <p style="text-align: right;">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर</p> <p>तारीख स्थान</p>

टिप्पण -

1. उत्तर 500 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए यदि वह 500 शब्दों से अधिक है तो उसे पृथक रूप से अपलोड किया जाए ।

2. समर्थनकारी दस्तावेजों, यदि कोई हों, दस्तावेजों को पीडीएफ फार्मेट में अपलोड किया जाए ।

प्ररूप जीएसटी सीएमपी -07  
[नियम 6(6) देखें]

संदर्भ सं० << ... >>

<< तारीख >>

सेवा में

जीएसटीआईएन

नाम

पता

आवेदन संदर्भ सं० (एआरएन)

तारीख -

**कारण बताओ सूचना के उत्तर को स्वीकार करने/नामंजूर करने के लिए आदेश**

यह संदर्भ संख्या.....तारीख..... द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल किए गए आपके तारीख..... के उत्तर के संदर्भ में है। आपके उत्तर की परीक्षा की गई और उसे समाधानप्रद रूप में पाया गया है और अतः, संविचरणा स्कीम के अधीन कर संदाय के विकल्प को जारी रखा जाएगा। उक्त कारण बताओ सूचना रद्द की जाती है।

या

यह संदर्भ संख्या.....तारीख..... द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल किए गए आपके तारीख..... के उत्तर के संदर्भ में है। आपके उत्तर की परीक्षा की गई और उसे समाधानप्रद रूप में नहीं पाया गया है और अतः, संविचरणा स्कीम के अधीन कर संदाय के विकल्प का निम्नलिखित कारणों से << >> से प्रत्याख्यान किया जाता है।

<< पाठ >>

या

आपने कारण बताओ सूचना का कोई उत्तर फाइल नहीं किया है; या

आप सुनवाई के लिए नियत तारीख हाजिर नहीं हुए हैं।

अतः निम्नलिखित कारणों से << तारीख >> से संविचरणा स्कीम के अधीन आपके कर संदाय के विकल्प का प्रत्याख्यान किया जाता है :

<< पाठ >>

तारीख

स्थान

हस्ताक्षर

उचित अधिकारी का नाम

पदनाम

अधिकारिता

**प्ररूप जीएसटी आरईजी -01**

[नियम 8(1) देखें]

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति और धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट किसी गैर कराधेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता को भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या विपर्ययन सेवाओं का प्रदाय करने वाला कोई व्यक्ति)

**भाग - क**

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र ▾

जिला - ▾

(i)	कारबार का विधिक नाम: (यथाउल्लिखित स्थायी लेखा संख्या)	
(ii)	स्थायी लेखा संख्यांक : (कारबार का स्थायी लेखा संख्यांक; भागीदारी समुत्थान की दशा में व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक प्रविष्ट करें)	
(iii)	ई-मेल पता :	
(iv)	मोबाइल संख्या :	

टिप्पण - भाग-ख को भरने हेतु कार्रवाई से पूर्व ऊपर दी गई सूचना ऑनलाइन सत्यापन के अध्याधीन होगी ।

आवेदन फाइल करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को अपना मोबाइल सं० और ई-मेल पता देना होगा ।

**भाग-ख**

1.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो		
2.	कारबार का गठन (समुचित का चयन करें)		
(i) स्वत्वधारी	?	(ii) भागीदारी	?
(iii) हिंदु अविभक्त कुटुम्ब	?	(iv) प्राईवेट लिमिटेड कंपनी	?
(v) पब्लिक लिमिटेड कंपनी	?	(vi) सोसायटी/क्लब/न्यास/व्यक्ति संगम	?
(vii) सरकारी विभाग	?	(viii) पब्लिक सैक्टर उपक्रम	?
(ix) असमिति कंपनी	?	(x) सीमित दायित्व भागीदारी	?
(xi) स्थानीय प्राधिकारी	?	(xii) कानूनी निकाय	?

(xiii) विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	?	(xiv) रजिस्ट्रिकृत विदेशी कंपनी (भारत में)	?
(xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	?		?
3.	राज्य का नाम	▲	जिला ▲
4.	अधिकारिता	राज्य	केन्द्र
		सैक्टर, सर्कल, वार्ड, युनिट आदि अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	
5.	संविरचना के लिए विकल्प	हां ? नहीं ?	
6. संविरचना की घोषणा <input type="checkbox"/> में यह घोषणा करता हूं कि पूर्वोक्त कारबार में अधिनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों का या संविरचना स्कीम के अधीन कर संदाय के विकल्प के लिए नियमों का पालन किया गया है ।			
6.1 रजिस्ट्रिकृत व्यक्ति का प्रवर्ग <चैकबॉक्स में चिन्हित करें>			
(i) ऐसे माल के, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, जिसके लिए विकल्प उपलब्ध नहीं हैं, विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता			
(ii) अनुसूची-2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने वाले प्रदायकर्ता			
(iii) संविरचना उदग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य प्रदायकर्ता ।			
7.	कारबार के प्रारंभ की तारीख	दिन/मास/वर्ष	
8.	तारीख जिसको रजिस्टर किए जाने का दायित्व उद्भूत हुआ है	दिन/मास/वर्ष	
9.	क्या आपने नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति के रूप में रजिस्ट्रिकरण के लिए आवेदन किया है	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
10.	यदि क्रम सं0 9 में 'हां' का चयन किया गया है तो वह अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है	से दिन/मास/वर्ष	तक दिन/मास/वर्ष
11.	यदि क्रम सं0 9 में 'हां' का चयन किया गया है तो रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान प्राक्कलित प्रदायों और प्राक्कलित शुद्ध कर दायित्व ।		
क्रम सं0	कर का प्रकार	आवर्त (रुपए में)	शुद्ध कर दायित्व (रुपए में)
(i)	एकीकृत कर		
(ii)	केन्द्रीय कर		

(iii)	राज्य कर		
(iv)	संघ राज्यक्षेत्र कर		
(v)	उपकर		
	कुल योग		
	संदाय के ब्यौरे		
	चालान पहचान संख्यांक	तारीख	रकम
12.	क्या आपने विशेष आर्थिक जोन इकाई के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है ?	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
	(i) विशेष आर्थिक जोन के नाम का चयन करें		▽
	(ii) अनुमोदन आदेश संख्यांक और आदेश की तारीख		
	(iii) अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम		
13.	क्या आपने विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है ?	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
	(i) विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता के नाम का चयन करें		▽
	(ii) अनुमोदन आदेश संख्यांक और आदेश की तारीख		
	(iii) अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का पदनाम		
14.	रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने कारण:		
	(i) सीमारेखन	(viii) दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का विलियन /समामेलन	
	(ii) अंतरराज्यिक प्रदाय	(ix) इनपुट सेवा वितरक	
	(iii) धारा 9(3) या 9(4) के अधीन माल या सेवाओं के प्राप्तिकर्ता के रूप में कर संदाय का दायित्व ।	(x) धारा 9(5) के अधीन कर संदाय के लिए दायी व्यक्ति	
	(iv) ऐसे कारबार का अंतरण जिसमें कारबार के स्वामित्व का परिवर्तन हो (यदि अंतरिति रजिस्ट्रीकृत अस्तित्व नहीं है)	(xi) ई-कार्मस पोर्टल के माध्यम से प्रदाय करने वाला कराधेय व्यक्ति	
	(v) स्वत्वधारी की मृत्यु (यदि उत्तरवर्ती रजिस्ट्रीकृत अस्तित्व नहीं है)	(xii) स्वैच्छिक आधार	
	(vi) निर्विलयन	(xiii) अन्य कराधेय व्यक्ति (व्यक्तियों) की ओर से माल और/या सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति	

	(vii) कारबार के गठन में परिवर्तन	(xiv) अन्य (जो ऊपर नहीं आते हैं) – विनिर्दिष्ट करें
15.	विद्यमान रजिस्ट्रिकरण उपदर्शित करें जहां कहीं लागू हों ।	
	मूल्य वर्धित कर के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
	केन्द्रीय विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
	प्रवेश कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
	मनोरंजन कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
	होटल और विलासिता रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
	सेवा-कर रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
	कारपोरेट पहचान संख्यांक/विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
	सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्यांक/विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्यांक	
	आयातकर्ता/निर्यातकर्ता कोड संख्यांक	
	चिकित्सीय और प्रसाधन निर्मिति (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
	दुकानों और संस्थापन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
	अस्थायी पहचान, यदि कोई हो	
	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
16.	(क) कारबार के मुख्य स्थान का पता	
	भवन सं०/फ्लैट सं०	तल सं०
	परिसर/भवन का नाम	सड़क/गली
	शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव	जिला
	तालुक/ब्लॉक	
	राज्य	पिन कोड
	अक्षांतर	देशांतर

(ख) संपर्क सूचना					
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष संख्या	एसटीडी		
मोबाईल संख्या		कार्यालय फैक्स संख्या	एसटीडी		
(ग) परिसर की प्रकृति					
अर्जन	पट्टा	किराए पर	सहमति	हिस्सेदार	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
(घ) ऊपर वर्णित परिसर पर किए जा रहे कारबार के क्रियाकलापों की प्रकृति (जो लागू हों कृपया उन्हें चिन्हित करें)					
फैक्टरी/विनिर्माण	?	थोक कारबार	?	खुदरा कारबार	?
भांडागार/डिपो	?	बंधित भांडागार	?	सेवाओं के प्रदायकर्ता	?
कार्यालय/विक्रय कार्यालय	?	पट्टा कारबार	?	माल या सेवाओं का प्राप्तिकर्ता	?
ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी	?	संकर्म संविदा	?	निर्यात	?
आयात	?	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	?		

17. बैंक खाता (खातों) का ब्यौरा

कारबार चलाने के लिए आवेदक द्वारा रखे गए बैंक खातों की कुल संख्या (10 बैंक खातों तक की रिपोर्ट दी जाए)	
--	--

बैंक खाता 1 का ब्यौरा

खाता संख्या																				
खाते का प्रकार	आईएफएससी																			
बैंक का नाम																				
शाखा का पता	ऑटो पोपुलेटड द्वारा किया जाए (संपादित विधि)																			

टिप्पण – और अधिक खातों को जोड़ें -----

18. कारबार द्वारा प्रदायित माल का ब्यौरा

कृपया 5 उच्च श्रेणी के माल को विनिर्दिष्ट करें		
क्रम	माल का विवरण	एचएसएन कोड (चार अंको में)

सं०		
(i)		
(ii)		
...		
(v)		

19. कारबार द्वारा प्रदायित सेवाओं का ब्यौरा ।

कृपया 5 उच्च श्रेणी की सेवाओं को विनिर्दिष्ट करें		
क्रम सं०	सेवाओं का विवरण	एचएसएन कोड (चार अंको में)
(i)		
(ii)		
...		
(v)		

20. कारबार के अतिरिक्त स्थान (स्थानों) का ब्यौरा

अतिरिक्त स्थानों की संख्या	
----------------------------	--

परिसर 1

(क) कारबार के अतिरिक्त स्थानों का ब्यौरा

भवन सं०/फ्लैट सं०		तल सं०	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव		जिला	
तालुक/ब्लॉक			
राज्य		पिन कोड	
अक्षांश		देशांतर	
(ख) संपर्क सूचना			
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष संख्या	एसटीडी
मोबाईल संख्या		कार्यालय फैक्स संख्या	एसटीडी

(ग) परिसर की प्रकृति					
अर्जन	पट्टा	किराए पर	सहमति	हिस्सेदार	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
(घ) ऊपर वर्णित परिसर पर किए जा रहे कारबार के क्रियाकलापों की प्रकृति (जो लागू हों कृपया उन्हें चिन्हित करें)					
फैक्टरी/विनिर्माण	?	थोक कारबार	?	खुदरा कारबार	?
भांडागार/डिपो	?	बंधित भांडागार	?	सेवाओं के प्रदायकर्ता	?
कार्यालय/विक्रय कार्यालय	?	पट्टा कारबार	?	माल या सेवाओं का प्राप्तिकर्ता	?
ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी	?	संकर्म संविदा	?	निर्यात	?
आयात	?	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	?		

21. स्वत्वधारी/सभी भागीदार/कर्ता/प्रबंधन निदेशक और न्यास के संगम/बोर्ड के प्रबंधन समिति के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्यों का ब्यौरा ।

विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	दिन/मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष,स्त्री,अन्य>
मोबाईल संख्या		ई-मेल पता	
टेलीफोन सं० एसटीडी सहित			
पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्यांक (यदि कोई है)	
स्थायी लेखा संख्या		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/ नहीं	पासपोर्ट संख्या (विदेशी नागरिक की दशा में)	
आवासीय पता			
भवन सं०/फ्लैट सं०		तल सं०	

परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
शहर/कस्बा/परिक्षेत्र/गांव		जिला	
ब्लॉक/तालुक			
राज्य		पिन कोड	
देश (विदेशी नागरिक की दशा में)		ज़िप कोड	

22.

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का ब्यौरा

प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए चैक बॉक्स

हस्ताक्षरी सं0 1 का ब्यौरा

विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	दिन/मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष,स्त्री,अन्य>
मोबाईल संख्या		ई-मेल पता	

टेलीफोन नंबर, एसटीडी के साथ			
पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
स्थायी खाता संख्या		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं ?	हां/नहीं	पासपोर्ट नंबर (विदेशियों के मामलों में)	

भारत में आवासीय पता

मकान नंबर/ फ्लैट नंबर		तल नंबर	
परिसर /मकान का नाम		सड़क/ गली	
ब्लाक /तालुका			
शहर/ नगर /मुहल्ला/ ग्राम		जिला	
राज्य		पिन कोड	

23.

प्राधिकृत प्रतिनिधि का ब्यौरा

नामांकन आई डी, यदि उपलब्ध हो			
निम्नलिखित ब्यौरें दे, यदि अभ्यावेशन आई डी उपलब्ध न हो			
स्थायी खाता संख्या			
आधार, यदि स्थायी खाता संख्या उपलब्ध न हो			
	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
व्यक्ति का नाम			
पदनाम/प्रास्थिति			
मोबाइल नंबर			
ई मेल पता			
टेलीफोन नंबर, एस टी डी के साथ		फैक्स नंबर, एस टी डी के साथ	

24. विनिर्दिष्ट सूचना का विवरण दें

वृत्तिक कर नामांकन कोड संख्या

वृत्तिक कर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या

उत्पाद शुल्क अनुज्ञप्ति संख्या और उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम से उत्पाद शुल्क की अनुज्ञप्ति है

(क)	क्षेत्र 1
(ख)	क्षेत्र 1
(ग)	....
(घ)	.....
(ड.)	क्षेत्र

25. **दस्तावेज अपलोड करना**

प्ररूप में क्षेत्र मूल्य के अनुसार ग्राहक-अपेक्षित दस्तावेजों की सूची को अपलोड करने (नियम 8 में निर्दिष्ट) की अपेक्षा की जाती है ।

26. **सहमति**

मैं आधार संख्या के धारक की और से < प्ररूप में दिये गए आधार संख्या के आधार पर पहले से भरे गए> माल और सेवा कर नेटवर्क को अधिप्रमाणित करने के उद्देश्य से अपना ब्यौरा प्राप्त कराने हेतु सहमति देता हूं । माल और सेवा कर नेटवर्क ने मुझे सूचित किया है कि पहचान की जानकारी का प्रयोग केवल आधार धारक की पहचान मान्य करने के लिए किया जाएगा और केवल अधिप्रमाणित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय पहचान डेटा संग्रह के साथ साझा किया जाएगा ।

27. **सत्यापन (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा)**

..... मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त दी गई सूचनी मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य और ठीक है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

हस्ताक्षर

स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....

तारीख पदनाम / प्रास्थिति.....

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची :--

1.	फोटो (जहां आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है)
----	--

	<p>(क) स्वत्वधारी समुत्थान – स्वत्वधारी</p> <p>(ख) भागीदारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी – प्रबंध/प्राधिकृत/अभिहित भागीदार (सभी भागीदारों के व्यक्तिगत ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु प्रबंध भागीदार सहित केवल दस भागीदारों की फोटो प्रस्तुत की जाएगी)</p> <p>(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब – कर्त्ता</p> <p>(घ) कंपनी – प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत व्यक्ति</p> <p>(ङ) न्यास – प्रबंध न्यासी</p> <p>(च) व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय – प्रबंध समिति के सदस्य (सभी सदस्यों के व्यक्तिगत ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु अध्यक्ष सहित केवल दस सदस्यों की फोटो प्रस्तुत की जाएगी)</p> <p>(छ) स्थानीय प्राधिकारी – मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका समतुल्य</p> <p>(ज) कानूनी निकाय – मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसका समतुल्य</p> <p>(झ) अन्य – भारसाधक व्यक्ति</p>
2.	<p>कारबार का गठन : भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी विलेख, सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय और अन्य, आदि की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/गठन का प्रमाण ।</p>
3.	<p>कारबार के मुख्य स्थान का प्रमाण :</p> <p>(क) स्वयं के परिसर के लिए--</p> <p>परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज, यथा नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति ।</p> <p>(ख) भाड़े पर लिए गए या पट्टे पर लिए गए परिसर के लिए--</p> <p>पट्टाकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति के साथ वैध किराए/पट्टा करार की प्रति ।</p> <p>(ग) ऊपर (क) और (ख) के अंतर्गत न आने वाले परिसर के लिए—</p> <p>सहमतिकर्ता के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिका खाते की प्रति या विद्युत बिल की प्रति के साथ सहमति पत्र की प्रति । शेयर की गई संपत्तियों के लिए भी, यही दस्तावेज अपलोड किए जा सकेंगे ।</p> <p>(घ) भाड़े पर लिए गए/पट्टे पर लिए गए परिसर के लिए, जहां किराए/पट्टा करार उपलब्ध नहीं है, वहां परिसर के कब्जे के समर्थन में किसी दस्तावेज, यथा, विद्युत बिल की प्रति के</p>

	<p>साथ उस प्रभाव का शपथपत्र ।</p> <p>(ड) यदि कारबार का मुख्य स्थान विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है या आवेदक विशेष आर्थिक जोन का विकासकर्ता है, तो भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को अपलोड करना अपेक्षित है ।</p>
4.	<p>बैंक खाते से संबंधित प्रमाण :</p> <p>बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ या बैंक विवरण के सुसंगत पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति या रद्द किए गए चैक की, जिसमें स्वत्वधारी या कारबार अस्तित्व का नाम, बैंक खाता सं०, एम.आई.सी.आर. कोड, आई.एफ.एस.सी. और कोड सहित शाखा विवरण अंतर्विष्ट हो, स्कैन प्रति ।</p>
5.	<p>प्राधिकारपत्र प्ररूप :--</p> <p>आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए, प्रबंध समिति या निदेशक बोर्ड के संकल्प या प्राधिकारपत्र की प्रति निम्नलिखित प्ररूप में भरे जाएंगे :</p> <p>प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए पृथक्) (स्वत्वधारी/सभी भागीदार/कर्त्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य आदि)</p> <p>मैं/हम ..... (नाम) .....</p> <p>(रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम) का</p> <p>.....</p> <p>(भागीदार/ कर्त्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य आदि), सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करते हैं कि &lt;&lt; प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, (प्रास्थिति/पदनाम) &gt;&gt; को संकल्प सं० ..... तारीख ..... द्वारा (प्रति इसके साथ प्रस्तुत), &lt;&lt; माल और सेवा कर पहचान संख्यांक - कारबार का नाम &gt;&gt;, कारबार के लिए, जिसके लिए अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल किया जा रहा है, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । इस कारबार के संबंध में उसके सभी कार्य मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगे ।</p> <p>हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम :</p> <p>प्रास्थिति/पदनाम :</p> <p>(स्वत्वधारी/कारबार अस्तित्व का नाम)</p>

	<p>प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अभिस्वीकृति</p> <p>में &lt;&lt; (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) &gt;&gt; उपर्युक्त निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी अभिस्वीकृत देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे ।</p>
<p>स्थान :</p> <p>तारीख :</p>	<p>प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर</p> <p>(नाम)</p> <p>पदनाम/प्रास्थिति :</p>

### रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

- व्यक्ति का नाम, कारबार के स्थायी लेखा संख्यांक में अभिलिखित के अनुसार दर्ज करे । स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, स्वत्वधारी का नाम विधिक नाम के सामने दर्ज करे और स्वत्वधारी का स्थायी लेखा संख्यांक उल्लिखित करे । स्थायी लेखा संख्यांक आय-कर डाटाबेस से सत्यापित किया जाएगा ।
- सत्यापन और भावी संसूचना के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई-मेल पता और मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराएं, जो आवेदन के भाग ख को भरे जाने से पूर्व, पृथक रूप से भेजे जाने वाले एक समय पासवर्ड द्वारा सत्यापित किया जाएगा ।
- कारबार द्वारा किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता घोषित किए जाने की दशा में, आवेदक द्वारा स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्त्ता/प्रबंध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति/ट्रस्टी बोर्ड के सदस्यों आदि हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी आवश्यक है ।
- निम्नलिखित व्यक्ति नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को अंकीय हस्ताक्षर कर सकते हैं :-

कारबार का गठन	व्यक्ति, जो आवेदन को अंकीय हस्ताक्षर कर सकते हैं
स्वत्वधारिता	स्वत्वधारी
भागीदारी	प्रबंध/प्राधिकृत भागीदार
हिंदू अविभक्त कुटुंब	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक

सोसाइटी/क्लब/ट्रस्ट/व्यक्ति संगम	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारसाधक व्यक्ति
पब्लिक सेक्टर उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
असीमित कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक
सीमित दायित्व भागीदारी	पदाभिहित भागीदार
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
कानूनी निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	भारसाधक व्यक्ति

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में जानकारी वैकल्पिक है । यदि प्राधिकृत प्रतिनिधि नामांकित है तो कृपया सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध सूची से अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि का चयन करे, अन्यथा ऐसे व्यक्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराएं ।

6. राज्य से संबंधित सूचना केवल संबंधित राज्य के लिए ही सुसंगत है ।

7. नीचे वर्णित व्यक्तियों द्वारा भरे गए आवेदन अंकीय रूप से हस्ताक्षरित होंगे :--

क्रम सं०	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित हस्ताक्षर का प्रकार
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम असीमित कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी.एस.सी.) वर्ग 2 और अधिक
2.	उपर्युक्त से अन्यथा	अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी.एस.सी.) वर्ग 2 और अधिक ई-हस्ताक्षर या

		कोई अन्य ढंग, जो अधिसूचित किया जाए ।
--	--	--------------------------------------

8. स्थायी लेखा संख्यांक, आधार, निदेशक पहचान संख्यांक, चालान पहचान संख्यांक से संबंधित सभी सूचना, प्रणाली द्वारा आनलाइन विधिमान्य की जाएगी और सभी भरी गई सूचना के सफलतापूर्वक विधिमान्य किए जाने के पश्चात् अभिस्वीकृति प्राप्ति संख्या जनित किया जाएगा ।
9. आनलाइन फाईल किए गए आवेदन की प्रास्थिति, अभिस्वीकृत पर उपदर्शित आवेदन संदर्भ संख्या (ए.आर.एन.), सामान्य पोर्टल पर प्रविष्ट करके, देखी जा सकती है ।
10. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाईल करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है ।
11. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होगा ।
12. किसी व्यक्ति को, जिसके किसी राज्य के भीतर बहु शीर्षका कारबार हैं, जो अपने किसी कारबार शीर्षका के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण चाहता है, प्रत्येक शीर्षका के संबंध में पृथक् रूप से आवेदन करना आवश्यक होगा ।
13. आवेदन के अनुमोदन के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
14. आवेदन के भाग क में प्रारंभिक ब्यौरे सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के पश्चात् अस्थायी संदर्भ संख्यांक (टी.आर.एन.) आबंटित किया जाएगा, जिसका आवेदन के भाग ख में ब्यौरे भरने के लिए उपयोग किया जाएगा । अस्थायी संदर्भ संख्यांक सामान्य पोर्टल पर 15 दिन की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा ।
15. कोई व्यक्ति, जो नियम 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने के लिए, प्ररूप जी.एस.टी. आर.ई.जी. 01 के भाग 10 में, विकल्प दे सकेगा, जो उक्त धारा के अधीन कर का भुगतान करने की सूचना समझी जाएगी ।

## प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-2

(नियम 8(5) देखें)

### अभिस्वीकृति

आवेदन निदेश संख्या

आपने आवेदन सफलतापूर्वक फाइल कर दिया है और आवेदन की विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

फाइल करने की तारीख :

फाइल करने का समय :

माल और सेवाकर पहचान संख्या, यदि उपलब्ध हो :

विधिक नाम :

व्यापार नाम :

प्ररूप संख्या :

प्ररूप वर्णन :

केन्द्र अधिकारिता :

राज्य अधिकारिता :

फाइल किया गया :

स्थायी निदेश संख्या, यदि कोई हो :

संदाय के ब्यौरे : चालान पहचान संख्या :

तारीख :

रकम :

यह सिस्टम जनरेटेड अभिस्वीकृति है और किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है :

\*केवल आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति के मामले में लागू ।

जी.एस.टी. आरईजी-3 प्ररूप

(नियम 9(2) देखें)

निदेश संख्या

तारीख

सेवा में,

आवेदक का नाम,

पता,

माल और सेवाकर पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो)

आवेदन निदेश संख्या

**अतिरिक्त जानकारी/ स्पष्टीकरण/दस्तावेजों के लिए नोटिस रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दिकरण के लिए आवेदन से संबंधित**

यह आपके एआरएन तारीख द्वारा फाइल किए गए रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रद्दिकरण के लिए आवेदन के निदेश अनुसार है । विभाग ने आपके आवेदन की परीक्षा की है और निम्नलिखित कारणों से वह सन्तुष्ट नहीं है :

- 1.
- 2.
- 3.

? आप तारीख ..... तक अपना जबाव प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किए जाते हैं

? आप तारीख ..... को ..... समय पर अधोहस्ताक्षरित के समक्ष उपस्थित होने के लिए निदेशित किए जाते हैं ।

यदि निर्धारित तारीख तक जबाव नहीं आता है तो आपका आवेदन अस्वीकृत होने का दायी होगा ।

कृपा नोट करें कि इस मामले में कोई और नोटिस/अनुस्मारक जारी नहीं किया जाएगा ।

हस्ताक्षर

उचित अधिकारी का नाम

पद नाम

अधिकारिता

\*नए रजिस्ट्रीकरण आवेदन के लिए लागू नहीं ।

प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-04

(नियम 9(2) देखें)

रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/रदिकरण के लिए स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज

1.	नोटिस के ब्यौरे	निदेश संख्या		तारीख	
2.	आवेदन के ब्यौरे	निदेश संख्या		तारीख	
3.	जीएसटीआईएन, यदि लागू हो				
4.	कारबार का नाम (विधिक)				
5.	व्यापार नाम, यदि कोई हो				
6.	पता				
7.	क्या रजिस्ट्रीकरण या फील्ड के लिए आवेदन में कोई उपांतरण अपेक्षित है				हां ? नहीं ? (एक पर निशान लगाएं)
8.	अतिरिक्त जानकारी				
9.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची				
10	सत्यापन				
<p>मैं.....सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषित करता हूं कि ऊपर दिए गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।</p> <p style="text-align: right;">प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर नाम पद नाम/प्रास्थिति</p> <p>स्थान : तारीख :</p>					

टिप्पण :

- नए रजिस्ट्रीकरण के लिए मूल रजिस्ट्रीकरण आवेदन संपादन ढंग में उपलब्ध रहेगा यदि मद सात में विकल्प हां चुने ।

2. रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों के संशोधन के लिए संशोधन के लिए आशयित फील्ड संपादन ढंग में उपलब्ध रहेगी यदि मद 7 में विकल्प हां चुने ।

प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी-05

(नियम 9(4) देखें)

निदेश संख्या :

सेवा में

आवेदक का नाम :

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो)

**रजिस्ट्रीकरण/संशोधन/ रद्दीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृती का आदेश**

यह आपके एआरएन तारीख द्वारा फाइल किए गए जबाव के निदेश अनुसार है । विभाग ने आपके जबाव की परीक्षा की है और निम्नलिखित कारणों से वह सन्तुष्ट नहीं है :

- 1.
- 2.
- 3.

इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है ।

या

आपने निदेश संख्या तारीख द्वारा जारी नोटिस का जबाव उसस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दिया है । इसलिए आपका आवेदन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है ।

हस्ताक्षर

नाम

पद नाम

अधिकारिता

भारत सरकार  
प्ररूप जीएसटी आरईजी -06  
(नियम 10(1) देखें)  
रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

रजिस्ट्रीकरण संख्या जीएसटीआईएन/यूनिक नंबर (यूआई एन)

1. विधिक नाम
2. व्यापार नाम, यदि कोई हो
3. कारबार का गठन
4. कारबार के मूल स्थान का पता
5. दायित्व की तारीख दिन/माह/वर्ष
6. विधिमान्यता की अवधि दिन/माह/वर्ष से दिन/माह/वर्ष तक  
(कारधेय व्यक्ति या

आकस्मिक कारधेय व्यक्ति

अनिवासी मामले में केवल

लागू)

7. रजिस्ट्रीकरण का प्रकार
8. अनुमोदन प्राधिकारी की विशिष्टियां  
i. केन्द्र राज्य

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय

9. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख

टिप्पण - रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र राज्य में कारबार के सभी स्थानों में मुख्य रूप से दर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित है ।

उपाबंध क

कारबार के अतिरिक्त स्थानों के ब्यौरे

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक

विधिक नाम

व्यापार नाम,यदि कोई हो

राज्य में कारबार के अतिरिक्त स्थानों की कुल संख्या

क्रम सं. पता

1

2

3

## उपाबंध ख

माल और सेवा कर पहचान संख्यांक

विधिक नाम

व्यापार का नाम, यदि कोई हो

स्वत्वधारी/भागीदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक प्रबंध समिति व्यक्ति संगमों के सदस्य/ न्यासियों का बोर्ड आदि

- |         |     |                   |
|---------|-----|-------------------|
| 1. फोटो | नाम | पदनाम/ प्रास्थिति |
|         |     | राज्य का निवासी   |
| 2. फोटो | नाम | पदनाम/ प्रास्थिति |
|         |     | राज्य का निवासी   |
| 3. फोटो | नाम | पदनाम/ प्रास्थिति |
|         |     | राज्य का निवासी   |
| 4. फोटो | नाम | पदनाम/ प्रास्थिति |
|         |     | राज्य का निवासी   |
| 5. फोटो | नाम | पदनाम /प्रास्थिति |
|         |     | राज्य का निवासी   |
| 6. फोटो | नाम | पदनाम/ प्रास्थिति |

- राज्य का निवासी
7. फोटो नाम
- पदनाम /प्रास्थिति
- राज्य का निवासी
8. फोटो नाम
- पदनाम /प्रास्थिति
- राज्य का निवासी
9. फोटो नाम
- पदनाम/ प्रास्थिति
- राज्य का निवासी
10. फोटो नाम
- पदनाम /प्रास्थिति
- राज्य का निवासी

**प्ररूप जीएसटी आरईजी-07**  
(नियम 12 (1) देखें)

धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर कटौतीकर्ता या धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर कलक्टर के रूप में रजिस्ट्रीकरण की संख्या

**भाग क**

(i) कर कटौतीकर्ता या कर कलक्टर का विधिक नाम (स्थायी लेखा संख्या /कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या में उल्लेखानुसार)

(ii) स्थायी लेखा संख्या

(iii) कारबार के स्थायी लेखा संख्या भरें संबद्ध स्वत्वधारिता के मामले में व्यक्तिगत स्थायी लेखा संख्या

(iv) कर कटौती संग्रहण लेखा संख्या

(कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या, यदि स्थायी लेखा संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(v) ई-मेल पता

(vi) मोबाइल पता

टिप्पण – भाग ख भरे जाने के लिए पूर्व कार्रवाई के आन लाइन सत्यापन के अधीन उपर्युक्त सूचना प्रस्तुत किया जाना है ।

**भाग ख**

1. व्यापार का नाम,यदि कोई हो
2. कारबार का गठन (समुचित चयन करें)

- (i) स्वत्वधारी ?
- (ii) भागीदारी ?
- (iii) हिन्दु अविभक्त कुटुंब ?
- (iv) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ?
- (v) पब्लिक लिमिटेड कंपनी ?
- (vi) सोसाइटी/ क्लब /न्यास/व्यक्तियों का संगम?
- (vii) सरकारी विभाग ?
- (viii) पब्लिक सेक्टर उपक्रम ?
- (ix) असीमित कंपनी ?
- (x) सीमित दायित्व भागीदारी ?
- (xi) स्थानीय प्राधिकारी ?

- (xii) कानूनी निकाय ?  
 (xiii) विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी ?  
 (xiv) रजिस्ट्रीकृत विदेशी कंपनी (भारत में) ?  
 (xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) ?

3. राज्य का नाम जिला

4. अधिकारिता राज्य केन्द्र

सेक्टर/सर्किल /वार्ड /प्रभार/यूनिट

		इत्यादि	
5	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार	कर कटौतीकर्ता <input type="radio"/>	कर कलक्टर <input type="radio"/>
6.	सरकार (केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	केन्द्र <input type="radio"/>	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र <input type="radio"/>

7.	कर की कटौती करने/संग्रहित करने के दायित्व की तारीख	तारीख/मास/वर्ष
8.	(क) कारबार के मूल स्थान का पता	
	भवन सं./फ्लैट सं.	तल सं.
	परिसर/भवन का नाम	मार्ग/गली
	शहर/नगर/परिक्षेत्र/ग्राम	जिला
	ब्लॉक/ताल्लुका	
	देशान्तर	अक्षांश
	राज्य	पिन कोड
	(ख) संपर्क सूचना	
	कार्यालय ई-मेल पता	कार्यालय टेलीफोन नं.
	मोबाइल नं.	कार्यालय फैक्स नं.

(ग)	परिसरों के कब्जे की प्रकृति					
	स्वामित्व	पट्टे पर दिया गया	किराये पर दिया गया	सहमति	साझा की हुई	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
9.	क्या आपने उसी राज्य में माल और सेवा कर के अधीन कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किए हैं?		हां	<input type="checkbox"/>	नहीं	<input type="checkbox"/>
10	यदि हां, माल और सेवा कर पहचान संख्या का उल्लेख करें					
11	आईसी (आयातकर्ता निर्यातकर्ता कोड), यदि लागू हों					
12	कर कटौती करने/कर संग्रह करने के लिए उत्तरदायी डीडीओ (आहरण और संवितरण अधिकारी)/व्यक्ति के ब्यौरे					
विशिष्टियां						
नाम		प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम		
पिता का नाम						
फोटो						
जन्म की तारीख		तारीख/मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, स्त्री, अन्य>		
मोबाइल नं.		ई-मेल पता				
टेलीफोन सं. एसटीडी सहित						
पदाभिधान/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)				
स्थायी लेखा संख्याक		आधार संख्या				
क्या आप बाहर के नागरिक हैं?		हां/नहीं	पासपोर्ट नं. (विदेशी व्यक्तियों के मामले में)			
निवास पता						
भवन सं./फ्लैट सं.		तल सं.				
परिसर/भवन का नाम		परिक्षेत्र/ग्राम				

राज्य		पिन कोड	
<b>13. प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ब्यौरे</b> प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए चेक बॉक्स <input type="checkbox"/> हस्ताक्षरी सं. 1 के ब्यौरे			
विशिष्टयां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
नाम			
फोटो			
पिता का नाम			
जन्म की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, स्त्री, अन्य>
मोबाइल नं.		ई-मेल पता	
टेलिफोन नं. एसटीडी सहित			
पदाभिधान/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
स्थायी लेखा संख्यांक		आधार संख्या	
क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट सं.( विदेशी व्यक्तियों के मामले में)	
<b>निवास पता (भारत के भीतर)</b>			
भवन सं./फ्लैट सं.		तल सं.	
परिसर/भवन का नाम		मार्ग/गली	
शहर/नगर/परिक्षेत्र/ग्राम		जिला	
राज्य		पिन कोड	
ब्लॉक/ताल्लुका			
टिप्पण-अतिरिक्त लिखें....			

14.	<p>सहमति</p> <p>मैं आधार सं &lt;प्ररूप में दी गई आधार सं. के आधार पर पहले भरा गया&gt; के धारक की ओर से अधिप्रमाण के प्रयोजन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अपने ब्यौरे प्राप्त करने के लिए “माल और सेवा कर नेटवर्क” के लिए सहमति देता हूं। “माल और सेवा कर नेटवर्क” ने मुझे सूचित किये हैं कि पहचान सूचना केवल आधार धारक की पहचान को विधिमान्य करने के लिए प्रयोग की जाएगी और इसे अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए ही केन्द्रीय पहचान आंकड़ा, संग्रह के साथ सांझा किया जाएगा।</p>
15.	<p style="text-align: center;">सत्यापन</p> <p>मैं सत्य निष्ठा से यह प्रति ज्ञात करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।</p> <p style="text-align: right;">(हस्ताक्षर)</p> <p>स्थान: कर कटौती करने/कर संग्रह करने के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी/व्यक्ति/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम</p> <p>तारीख (पदनाम)</p>

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार विभागों या स्थानों या स्थानीय प्राधिकारी या केन्द्रीय अभिकरणों को लागू न होना):-

कारबार के मूल स्थान का सबूत:

(क) स्वयं के परिसरों के लिए –

नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति।

(ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए–

नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति जैसे पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए –

नगरपालिक खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति जैसे सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी

दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति/सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।

(घ) किराए पर दिए गए/पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए जहां किराया/पट्टा करार उपलब्ध नहीं है वहां परिसर के कब्जे के समर्थन में किसी दस्तावेज जैसे बिजली के बिल की प्रति के साथ इस आशय का शपथपत्र।

(ड) यदि कारबार का मूल स्थान विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित है या आवेदक विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, भारत सरकार द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेज या प्रमाणपत्र अपलोड किए जाने अपेक्षित हैं।

कर कटौतीकर्ता/कर संग्रहकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश।

1. कारबारिक कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक/स्थायी लेखा संख्यांक पर यथा अभिलिखित कर कटौतीकर्ता/कर संग्रहकर्ता का नाम प्रविष्ट करे। कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक/स्थायी लेखा संख्यांक आय-कर विभाग डाटाबेस के साथ सत्यापित किए जाएंगे।

2. सत्यापन और भावी संसूचना के लिए कर की कटौती करने/कर संग्रहण करने के लिए जिम्मेदार डीडीओ (आहरण और संवितरण अधिकारी/व्यक्ति की ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. उपलब्ध कराए जिससे आवेदन भरने से पहले पृथकतः भेजे जाने वाले वनटाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।

3. ऐसा व्यक्ति जो डीडीओ/कर की कटौती करने वाले/कर संग्रह करने वाले व्यक्ति के रूप कार् कर रहा है, आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकता है।

4. अधोलिखित व्यक्तियों द्वारा फाइल किया गया आवेदन डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा।

क्र. सं.	आवेदक के प्रकार	अपेक्षित डिजिटल हस्ताक्षर
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम अपरिसीमित कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी समिति दायित्व भागीदारी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के ई-हस्ताक्षर या कोई अन्य ढंग, जो विनिर्दिष्ट हो या जो अधिसूचित किया जाए

5. स्थायी लेखा संख्यांक, आधार, निदेशक पहचान संख्या चालान पहचान संख्या से सम्बन्धित सभी जानकारी प्रणाली द्वारा आने लाइन विधिमान्य की जाएगी और अभिस्वीकृति रसीद सं. सभी भरी गई सूचना के सफल विधिमान्यकरण के पश्चात् तैयार की जाएगी।
6. ऑनलाइन फाइल किए गए आवेदन की प्रास्थिति को सामान्य पोर्टल पर देखा जा सकता है।
7. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई रसीद संदेय नहीं है।
8. प्राधिकृत व्यक्ति अवयस्क नहीं होगा।

प्ररूप जीएसटी आरईजी-08  
[नियम 12(3) देखें]

संदर्भ सं.

तारीख:

सेवा में

नाम:

पता:

आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन) (उत्तर)

तारीख:

स्रोत कर कर कटौतीकर्ता या स्रोत पर कर कलक्टर के रूप में आरईजी के रद्दकरण का आदेश

यह अधिनियम के अधीन आरईजी के रद्दकरण के लिए संदर्भ संख्या....., तारीख..... द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के संदर्भ में है।

चूंकि कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर फाइल नहीं किया गया है  
 चूंकि सुनवाई के लिए नियत तारीख को आप हाजिर नहीं हुए  
 चूंकि कारण बताओ सूचना के प्रति आपका उत्तर और सुनवाई के समय किए गए निवेदनों की जांच की गई है। अधोहस्ताक्षरी की यह राय है कि आपका आरईजी निम्नलिखित कारण (कारणों) के लिए रद्द किया जा सकता है।

- 1.
- 2.

आरईजी के रद्दकरण की प्रभावी तारीख <<तारीख/मास/वर्ष >>.

आपको..... (तारीख) को या इससे पहले अधोलिखित रकम का संदाय करने के लिए निदेश दिया जाता है जिसके न हो सकने पर रकम अधिनियम और तद्विन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वसूल की जाएगी।

(यह आदेश आपके डैश बोर्ड पर भी उपलब्ध है)

शीर्ष	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
कर					
ब्याज					
शास्ति					
अन्य					
कुल					

हस्ताक्षर  
नाम  
पदनाम  
अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी आरईजी-09

[नियम 13(1) देखें]

अनिवासी कराधेय व्यक्ति के आरईजी के लिए आवेदन

भाग-क

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र -

जिला -

(i)	अनिवासी कराधेय व्यक्ति का विधिक नाम	
(ii)	अनिवासी कराधेय व्यक्ति का लेखा संख्यांक, यदि कोई हो	
(iii)	पासपोर्ट संख्या, यदि स्थायी लेखा संख्यांक उपलब्ध नहीं है	
(iv)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश में सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (स्थायी लेखा संख्यांक के अनुसार)	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का स्थायी लेखा संख्यांक	
(vii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का ई-मेल पता	
(viii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का मोबाइल नं. (+91)	
टिप्पण - जहां व्यवहार्य हो, भाग - ख को भरने से पूर्व, वहां ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑनलाइन सत्यापन के अध्वधीन है।		

भाग-ख

1.	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ब्यौरे (भारत का निवासी होना चाहिए)		
	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
	फोटो		

	लिंग		पुरुष/स्त्री/अन्य					
	पदाभिधान							
	जन्म की तारीख		तारीख/मास/वर्ष					
	पिता का नाम							
	राष्ट्रीयता							
	आधार							
	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पता		पता पंक्ति 1					
			पता पंक्ति 2					
			पता पंक्ति 3					
2.	वह अवधि, जिसके लिए आरईजी अपेक्षित है	से		तक				
		तारीख/मास/वर्ष		तारीख/मास/वर्ष				
3	आवर्त के ब्यौरे	प्राक्कलित आवर्त (रुपये)		प्राक्कलित कर दायित्व (शुद्ध) (रुपये)				
		राज्य के भीतर	अन्तर्राज्यीय	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
4	उद्भव के देश में अनिवासी कराधेय व्यक्ति का पता							
	(कारबार अस्तित्व के मामले में - कार्यालय का पता)							
	पता पंक्ति 1							
	पता पंक्ति 2							
	पता पंक्ति 3							
	देश (ड्रॉप डाउन)							
	जिप कोड							
	ई-मेल पता							
टेलिफोन नं.								
5	भारत में कारबार के मूल स्थान का पता							

	भवन सं./फ्लैट सं.	तल सं.		
	परिसर/भवन का नाम	मार्ग/गली		
	शहर/नगर/ग्राम/परिक्षेत्र	जिला		
	ब्लॉक/ताल्लुका			
	देशांतर	अक्षांश		
	राज्य	पिन कोड		
	मोबाइल नं.	टेलीफोन नं.		
	ई-मेल पता	फैक्स नं. एसटीडी सहित		
6	भारत में बैंक खाते के ब्यौरे			
	लेखा संख्या		लेखा का प्रकार	
	बैंक का नाम		शाखा का पता	आईएफएससी
7	अपलोड किए गए दस्तावेज प्ररूप में क्षेत्रीय महत्व के अनुसार अपलोड किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों (अनुदेश देखें) की अनुकूल सूची			
8	<p>घोषणा मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।</p> <p style="text-align: right;">हस्ताक्षर</p> <p>स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम</p> <p>तारीख: पदनाम:</p>			

**टिप्पण:** अनिवासी कराधेय व्यक्ति से पासपोर्ट और फोटो की स्कैन की गई प्रति के साथ घोषणा (अधोलिखित रूप विधान के अनुसार) अपलोड करने की अपेक्षा की जाती है।  
साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

1.	<p>मूल कारबार के स्थान का सबूत:</p> <p>(क) स्वयं के परिसरों के लिए –</p> <p>परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या</p>
----	--

	<p>नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति</p> <p>(ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए-</p> <p>नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति, जैसे पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति।</p> <p>(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए -</p> <p>नगरपालिक खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति जैसे सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति/सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।</p>
2.	<p>अनिवासी कराधेय व्यक्ति के सबूत:</p> <p>बीजा के ब्यौरे सहित अनिवासी कराधेय व्यक्ति के पासपोर्ट की स्कैन की गई प्रति। भारत से बाहर निगमित या स्थापित कारबार अस्तित्व के मामले में आरईजी के लिए आवेदन उसकी कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या, जिसके आधार पर उस राज्य की सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है या उसका स्थायी लेखा संख्यांक, यदि उपलब्ध हों, के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।</p>
3	<p>बैंक खाता सम्बद्ध सबूत:</p> <p>बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ या बैंक विवरण के सुसंगत पेज की स्कैन की गई प्रति या स्वत्वधारी या कारबार अस्तित्व का नाम, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर, आईएफएससी और कोड सहित शाखा के ब्यौरे अन्तर्विष्ट करने वाला रद्द चेक की स्कैन की गई प्रति।</p>
4	<p>प्राधिकार प्ररूप:-</p> <p>आवेदन प्ररूप में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए, निम्नलिखित रूप विधान में फाइल की जाने वाली प्रबन्ध समिति या निदेशक बोर्ड का प्राधिकार या उसके संकल्प के प्रति: प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरी के लिए अलग से) स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/कर्ता/प्रबंध निदेशकों और संगमों की प्रबंध समिति/न्यासी बोर्ड आदि के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्य) मैं/हम.....(नाम) जो .....(रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का नाम) के (भागीदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और संगमों की प्रबंध समिति/न्यासी बोर्ड आदि के पूर्णकालिक निदेशक/सदस्य हैं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करते हैं कि &lt;&lt;प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (प्रास्थिति/पदाभिधान)&gt;&gt; कारबार&lt;&lt;माल और सेवा कर पहचान संख्या - कारबार का नाम &gt;&gt; जिसके लिए अधिनियम के अधीन आवेदन आरईजी के लिए फाइल किया गया है, के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने के लिए संकल्प संख्या..... तारीख.....(इसके साथ प्रस्तुत प्रति) द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। इस कारबार के</p>

	<p>सम्बन्ध में उसके सभी कार्य मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगे</p> <p style="text-align: right;">हस्ताक्षर</p> <p style="text-align: center;">नाम: पदनाम/प्रास्थिति: (स्वत्वधारी/कारबार अस्तित्व का नाम)</p> <p style="text-align: center;">प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में स्वीकृति प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में स्वीकृति</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>मैं &lt;&lt;(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम)&gt;&gt; सत्य निष्ठा से ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूँ और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।</p> <p style="text-align: center;">प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर</p> <p>पता: तारीख:</p> <p style="text-align: center;">पदनाम/प्रास्थिति:</p> </div>
--	---

अनिवासी कराधेय व्यक्ति के रूप में आरईजी के लिए आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के लिए निदेश-

1. पासपोर्ट में यथा अभिलिखित आवेदक अनिवासी कराधेय व्यक्ति का नाम प्रविष्ट करें।
2. सामान्य पोर्टल पर कारबार के प्रारम्भ से कम से कम पांच दिन पहले आवेदन करें।
3. आवेदक को सत्यापन तथा भावी संसूचना के लिए ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. उपलब्ध कराना आवश्यक है जो आवेदन के भाग - ख को भरने से पूर्व, पृथक रूप से भेजने जाने वाले वन टाईम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।
4. आवेदक को स्वत्वधारी/सभी भागीदारों/प्रबन्ध निदेशकों और संगमों की प्रबंध समिति/न्यासी बोर्ड के पूर्णकालिकनिदेशक/सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करना आवश्यक है, यदि कारबार किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में घोषित करता है।
5. अधोलिखित व्यक्तियों द्वारा फाइल किया गया आवेदन डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा।

क्र. सं.	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित डिजिटल हस्ताक्षर
----------	-----------------	---------------------------

क्र. सं.	आवेदक का प्रकार	अपेक्षित डिजिटल हस्ताक्षर
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम अपरिसीमित कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी समिति दायित्व भागीदारी	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र वर्ग 2 और उसके उपर के, ई-हस्ताक्षर या जो अधिसूचित किया जाए

6. स्थायी लेखा संख्यांक, आधार, निदेशक पहचान संख्या चालान पहचान संख्या से सम्बन्धित सभी जानकारी प्रणाली द्वारा आने लाइन विधिमान्य की जाएगी और अभिस्वीकृति रसीद सं. सभी भरी गई सूचना के सफल विधिमान्यकरण के पश्चात् तैयार की जाएगी।

7. ऑनलाइन फाइल किए गए आवेदन की प्रास्थिति को सामान्य पोर्टल पर देखा जा सकता है।

8. आरईजी के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई रसीद संदेय नहीं है।

9. प्राधिकृत हस्ताक्षरी भारतीय नागरिक होगा और वह अवयस्क नहीं होगा

प्ररूप जीएसटी आरईजी-10

[नियम 14(1) देखें]

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, भारत में किसी व्यक्ति को भारत से बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं के आरईजी के लिए आवेदन

**भाग-क**

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र -

जिला -

(i)	व्यक्ति का विधिक नाम	
(ii)	व्यक्ति का लेखा संख्यांक, यदि कोई हो	
(iii)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश में सरकार द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम (स्थायी लेखा संख्यांक के अनुसार)	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का स्थायी लेखा संख्यांक	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का ई-मेल पता	
(vii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का मोबाइल नं. (+91)	
टिप्पण - जहां व्यवहार्य हो, भाग - ख को भरने से पूर्व, वहां ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑनलाइन सत्यापन के अध्याधीन है।		

**भाग-ख**

1.	प्राधिकृत हस्ताक्षरी के ब्यौर (भारत का निवासी होगा)		
	प्रथम नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम
	फोटो		
	लिंग	पुरुष/स्त्री/अन्य	
	पदाभिधान		
	जन्म की तारीख	तारीख/मास/वर्ष	
	पिता का नाम		

	राष्ट्रीयता			
	आधार, यदि कोई हो			
	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का पता		पता पंक्ति 1	
			पता पंक्ति 2	
		पता पंक्ति 3		
2.	भारत में ऑनलाइन सेवा के प्रारम्भ की तारीख		तारीख/मास/वर्ष	
3	वेबसाइट, जिसके माध्यम से कराधेय सेवा उपलब्ध कराई जाती हैं, के एक समान स्रोत अवस्थापक (यूआलएल): 1. 2. 3...			
4	अधिकारिता	केन्द्र		
5	बैंक खाते के ब्यौरे			
	खाता सं.		खाता का प्रकार	
	बैंक का नाम		शाखा का पता	आइएफएससी
6	अपलोड की गई दस्तावेज प्ररूप में क्षेत्रीय महत्व के अनुसार अपलोड किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों (अनुदेश देखें) की अनुकूल सूची			
7	<p>घोषणा मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।</p> <p>मैं.....यह घोषणा करता हूं कि मैं रजिस्टरकर्ता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं। मैं कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित गैर-निर्धारित ऑनलाइन प्रासिकर्ता से दायी से कर प्रभारित करूंगा और संग्रहीत करूंगा और उसे भारत सरकार में जमा करूंगा।</p> <p style="text-align: right;">हस्ताक्षर</p> <p>स्थान: प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम</p> <p>तारीख: पदनाम :</p>			

टिप्पण: आवेदक से पासपोर्ट और फोटो की स्कैन की गई प्रति के साथ घोषणा (अधोलिखित रूप विधान के अनुसार) अपलोड करने की अपेक्षा की जाएगी।

साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है।

1.	<p>भारत में कारबार के स्थान का सबूत:</p> <p>(क) स्वयं के परिसरों के लिए –</p> <p>नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति, जैसे परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज।</p> <p>(ख) किराए पर या पट्टे पर लिए गए परिसरों के लिए–</p> <p>नवीनतम संपत्ति कर रसीद या नगरपालिक खाते की प्रति या बिजली के बिल की प्रति जैसे पट्टाकर्ता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित विधिमान्य किराया/पट्टा करार की प्रति।</p> <p>(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत न आने वाले परिसरों के लिए –</p> <p>नगरपालिक खाता की प्रति या बिजली के बिल की प्रति, जैसे सहमतिदाता के परिसरों के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमतिपत्र की प्रति/सांझा की गई संपत्तियों के लिए भी इन्हीं दस्तावेजों को अपलोड किया जाए।</p>
2.	<p>निम्नलिखित के सबूत :</p> <p>बीजा ब्यौरों के साथ अनिवासी करदाता के पासपोर्ट की स्कैन की गई प्रति। कंपनी/सोसाइटी/एलएलपी/एफसीएनआर आदि के मामले में ऐसा व्यक्ति, जो प्राधिकार पत्र के साथ मुख्तारनामा धारण करता है।</p> <p>निगमन के प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति यदि कंपनी भारत से बाहर या भारत में रजिस्ट्रीकृत है।</p> <p>उद्भव के देश द्वारा जारी अनुज्ञप्ति की स्कैन की गई प्रति</p> <p>भारत सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।</p>
3	<p>बैंक खाता सम्बद्ध सबूत:</p> <p>बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ/बैंक विवरण के एक पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति।</p> <p>स्वत्वधारी/कारबार समुत्थान के नाम में धारित बैंक पासबुक का आरंभिक पृष्ठ, जिसमें खाता धारक का खाता संख्या, नाम/एमआइसीआर और आइएफएससी तथा शाखा के ब्यौरे अन्तर्विष्ट हों।</p>

**प्राधिकार प्ररूप:-**

प्राधिकार प्ररूप में उल्लिखित हस्ताक्षरी के लिए, निम्नलिखित रूप विधान में फाइल की जाने वाली प्रबंध समिति या निदेशक बोर्ड के प्राधिकार या उसके संकल्प की प्रति:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरी के लिए अलग से)

में .....(प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्तारनामा धारक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि कारबार <<कारबार का नाम>> जिसके लिए आरईजी का आवेदन माल और सेवा कर अधिनियम, 20 के अधीन फाइल किया जा रहा है/ रजिस्ट्रीकृत है, के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने के लिए <<प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>> प्राधिकृत हूं।

इस कारबार के सम्बन्ध में उसकी सभी कार्रवाईयां मुझ पर/हम पर आबद्धकर होंगी।

उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर, जो भारसाधक हैं।

क्र. सं.	पूरा नाम	पदाभिधान/प्रास्थिति	हस्ताक्षर
1.			

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में स्वीकृति

में <<( प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>> ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने की अपनी स्वीकृति सत्यनिष्ठा से देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।

(नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर स्थान

तारीख:

पदाभिधान/प्रास्थिति

प्ररूप जीएसटी आरईजी-11  
[नियम 15(1) देखें]

आकस्मिक/अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा आरईजी अवधि के विस्तार के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआइएन								
2.	नाम (विधिक)								
3.	व्यवसाय का नाम, यदि कोई हो								
4.	पता								
5.	विधिमान्यता की अवधि (मूल)		से	तक					
			तारीख/मास/वर्ष	तारीख/मास/वर्ष					
6.	वह अवधि जिसके लिए विस्तार का अनुरोध किया गया है		से	तक					
			तारीख/मास/वर्ष	तारीख/मास/वर्ष					
7.	विस्तारित अवधि के लिए आवर्त के ब्यौरे (रूपये)		विस्तारित अवधि के लिए प्राक्कलित कर दायित्व (शुद्ध) (रूपये)						
			अन्तर्राज्यीय	राज्य के भीतर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
8.	संदाय के ब्यौरे								
	तारीख	सीआइएन	बीआरएन	रकम					
9.	घोषणा-		<p>मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इससे कोई बात नहीं छिपाई गई है।</p>						
स्थान:			हस्ताक्षर						
तारीख:			प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम:						
			पदाभिधान/प्रास्थिति:						

विधिमान्यता के विस्तार के लिए आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुदेश

1. आवेदन विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति से पूर्व ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है।
2. आवेदन केवल तब फाइल किया जा सकता है जब अग्रिम संदाय किया जाता है।
3. सफल फाइल करने के पश्चात्, आवेदन संदर्भ संख्या तैयार की जाएगी जिसे आवेदन की प्रास्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 12

[नियम 16(1) देखिए]

संदर्भ संख्या -

तारीख:

सेवा में,

(नाम):

(पता):

अस्थायी आरईजी संख्या

अस्थायी आरईजी/स्वप्रेरणा से आरईजी अनुदत्त करने के लिए आदेश

अधोहस्ताक्षरी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि आप अधिनियम के अधीन आरईजी करने के दायी हैं और इसलिए आपका अस्थायी आधार पर आरईजी किया जाता है । कारबार परिसर से पता लगाई गई कारबार की विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :

उस व्यक्ति के ब्यौरे, जिसे अस्थायी आरईजी अनुदत्त किया गया है		
1.	नाम और विधिक नाम, यदि लागू हो	
2.	लिंग	पुरुष/ महिला/ अन्य
3.	पिता का नाम	
4.	जन्म की तारीख	दिन/ मास/वर्ष
5.	व्यक्ति का पता	भवन संख्या/फ्लैट संख्या
		मंजिल
		परिसर/भवन का नाम
		सड़क गली
		शहर/नगर/लोकलिटी/ग्राम
		ब्लॉक/तालुका
		जिला
		राज्य
		पिन कोड
6.	व्यक्ति की स्थायी लेखा संख्या, यदि उपलब्ध हो	

7.	मोबाइल नंबर	
8.	ईमेल पता	
9.	अन्य पहचान, यदि कोई हो (मतदाता पहचान संख्या/पासपोर्ट संख्या/चालन अनुज्ञप्ति संख्या/आधार संख्या/अन्य)	
10.	अस्थायी आरईजी के कारण	
11.	आरईजी/अस्थायी पहचान की प्रभावी तारीख	
12.	आरईजी संख्या/अस्थायी पहचान	

(अभिग्रहण मेमो/निरुद्ध मेमो/कोई अन्य समर्थनकारी दस्तावेज का अपलोड किया जाना)

<< आपको इस आदेश के जारी होने के 30 दिनों के भीतर समुचित आरईजी के लिए आवेदन फाइल करने का निदेश दिया जाता है >>

हस्ताक्षर

स्थान

<< अधिकारी का नाम >> >>

तारीख:

पदनाम/अधिकारिता :

टिप्पण: आदेश की एक प्रति अधिकारिता रखने वाले तत्स्थानी केंद्रीय/राज्य प्राधिकारी को भेजी जाएगी

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 13

[नियम 17(1) देखिए]

संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/ अन्य को विशिष्ट पहचान संख्या अनुदत्त करने के लिए आवेदन/प्ररूप

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र -

जिला -

भाग क

(i)	इकाई का नाम	
(ii)	इकाई की स्थायी लेखा संख्या, यदि कोई है (किसी अन्य अधिसूचित व्यक्ति की दशा में लागू)	
(iii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की स्थायी लेखा संख्या	
(v)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ईमेल पता	
(vi)	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर (+91)	

भाग ख

1.	इकाई का किस्म (कोई एक चुनें)	संयुक्त राष्ट्र	दूतावास	अन्य व्यक्ति
2.	देश			
3.	अधिसूचना के ब्यौरे	अधिसूचना संख्या	तारीख	
4.	राज्य में इकाई का पता			
	भवन संख्या/फ्लैट नंबर	मंजिल		
	परिसर/भवन का नाम	सड़क/ गली		
	शहर/कस्बा/गाँव	जिला		
	ब्लॉक/तालुका			
	अक्षांश	देशान्तर		
	राज्य	पिन कोड		
	संपर्क के लिए जानकारी			
	ईमेल पता		टेलीफोन नंबर	

	फैक्स नंबर		मोबाइल नंबर	
7.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे, यदि लागू हों			
	विशिष्टियां	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
	नाम			
	फोटो			
	पिता का नाम			
	जन्म की तारीख	दिन/ मास/वर्ष	लिंग	<पुरुष, महिला, अन्य>
	मोबाइल नंबर		ईमेल पता	
	टेलीफोन नंबर			
	पदनाम/प्रास्थिति		निदेशक पहचान संख्या (यदि कोई हो)	
	स्थायी लेखा संख्या		आधार संख्या	
	क्या आप भारत के नागरिक हैं?	हां/नहीं	पासपोर्ट संख्या (विदेशियों के मामले में)	
	घर का पता			
	भवन संख्या/फ्लैट नंबर		मंजिल	
	परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
	नगर/शहर/गांव		जिला	
	ब्लॉक/तालुका			
	राज्य		पिन कोड	
8.	बैंक खाता ब्यौरे (यदि आवश्यक हो तो और जोड़ें)			
	खाता संख्या		खाते का प्रकार	
	आईएफएससी		बैंक का नाम	
	शाखा का पता			
9.	अपलोड किए गए दस्तावेज			

	<p>प्राधिकृत व्यक्ति, जिसके कब्जे में दस्तावेजी साक्ष्य हैं (संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि से भिन्न) ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत निकाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा है, सम्मिलित हैं, को अपलोड किया जाएगा ।</p> <p>या</p> <p>समुचित अधिकारी, जिसने आवेदक (संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि) से दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए हैं, ऐसे दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि का भारत में प्रतिनिधित्व करने के लिए आवेदक को प्राधिकृत करने के लिए संकल्प/मुख्तारनामा है, सम्मिलित हैं, के साथ सृजित और संबंधित संयुक्त राष्ट्र निकाय/दूतावास आदि को आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या को अपलोड किया जाएगा ।</p>
11.	<p>सत्यापन</p> <p>मैं सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।</p>

स्थान:

(हस्ताक्षर)

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम:

या

(हस्ताक्षर)

स्थान:

समुचित अधिकारी

का नाम:

तारीख:

पदनाम:

अधिकारिता:

सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र निकायों/दूतावासों/अन्य के आरईजी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश ।

- प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा ।
- आवेदन सामान्य पोर्टल के माध्यम से फाइल किया जाएगा या समुचित अधिकारी द्वारा स्व:प्रेरणा से आरईजी अनुदत्त किया जा सकता है
- सामान्य पोर्टल पर फाइल किए गए आवेदन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से हस्ताक्षर करना अपेक्षित है
- संबंधित निकाय द्वारा प्रतिदाय आवेदन या अन्यथा पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत ब्यौरों को आवेदन में "प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे" के सामने भरा जाना चाहिए ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी - 14

[नियम 19(1) देखिए]

आरईजी विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन  
(सभी प्रकार के रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए)

1. जीएसटीआईएन/यूआईएन			
2. कारबार का नाम			
3. आरईजी का प्रकार			
4. संशोधन सारांश			
क्रम सं.	फील्ड नाम	प्रभावी तारीख (दिन/ मास/वर्ष)	कारण
5. अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची			
(क)			
(ख)			
(ग)			
...			
6. घोषणा			
<i>में सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।</i>			
हस्ताक्षर			
स्थान:	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:		
तारीख :	पदनाम/प्रास्थिति:		

## संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

1. संशोधन के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा ।
2. कारबार के नाम, कारबार का प्रधान स्थान, कारबार के अतिरिक्त स्थान और भागीदारों या निदेशकों के ब्यौरे, कर्ता, प्रबंध समिति, न्यासी बोर्ड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य, जो कारबार के दिन प्रतिदिन के मामलों के लिए उत्तरदायी है – से संबंधित परिवर्तन, जो आरईजी को रद्द करने के लिए अधिदेश नहीं करते हैं, कोर फील्ड हैं, जिनका सम्यक् सत्यापन के पश्चात् समुचित अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा ।
3. गैर-कोर फील्ड में संशोधन के लिए समुचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है ।
4. जहां किसी कारबार के गठन में किसी परिवर्तन का परिणाम रजिस्ट्रीकृत की स्थायी लेखा संख्या में परिवर्तन के रूप में होता है तो उक्त व्यक्ति से नए आरईजी के लिए आवेदन करना अपेक्षित है ।
5. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के समय-समय पर संशोधित मोबाइल नंबर या ई-मेल पते में परिवर्तन को सामान्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के पश्चात् ही किया जाएगा ।
6. स्थायी लेखा संख्या, आधार, निदेशक पहचान संख्या, चालान पहचान संख्या से संबंधित सभी सूचना का आनलाइन विधिमान्यकरण प्रणाली द्वारा किया जाएगा तथा आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) आवश्यक फील्ड के सफलतापूर्वक विधिमान्यकरण के पश्चात् सृजित की जाएगी ।
7. आवेदन की प्रास्थिति का सामान्य पोर्टल पर पता लगाया जा सकता है ।
8. संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है ।
9. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अल्पव्य नहीं होगा ।

**प्ररूप जीएसटी आरईजी- 15**

[नियम 19 (1) देखिए]

संदर्भ संख्या - << >>

तारीख - दिन/ मास/वर्ष

सेवा में

(नाम)

(पता)

आरईजी संख्या (माल और सेवा कर पहचान संख्या/विशिष्ट पहचान संख्या)

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)

तारीख - दिन/ मास/वर्ष

**संशोधन आदेश**

आपकी आवेदन संख्या ----- तारीख ---- जो आरईजी विशिष्टियों में संशोधन के संबंध में है, को निर्दिष्ट करें ।आपके आवेदन की जांच की गई है और उसे सही पाया गया है ।आरईजी का संशोधन प्रमाण पत्र डाउनलोड किए जाने के लिए आपके डैशबोर्ड पर उपलब्ध है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकारिता

तारीख

स्थान

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 16

[नियम 20 देखिए ]

आरईजी रद्द करने के लिए आवेदन

1	जीएसटीआईएन			
2	विधिक नाम			
3	व्यापार नाम, यदि कोई हो			
4	कारबार के प्रधान स्थान का पता			
5	भावी पत्राचार के लिए पता (ईमेल, मोबाइल टेलीफोन, फैक्स सहित)	भवन संख्या/फ्लैट संख्या		मंजिल
		परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली
		शहर/कस्बा/गाँव		जिला
		ब्लॉक/तालुका		
		अक्षांश		देशान्तर
		राज्य		पिन कोड
		मोबाइल (देश कोड के साथ)		टेलीफोन
ईमेल		फैक्स संख्या		
6.	रद्द करने के कारण (एक चुने)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ कारबार को जारी न रखना/ समापन</li> <li>○ कर का संदाय करने के लिए दायी होने का समाप्त होना</li> <li>○ समामेलन, आमेलन/अविलयन, विक्रय, पट्टा या अन्यथा निपटान के कारण कारबार का अंतरण आदि ।</li> <li>○ कारबार के गठन में परिवर्तन के कारण स्थायी लेखा संख्या में परिवर्तन</li> <li>○ एकल स्वतवधारी की मृत्यु</li> <li>○ अन्य (विनिर्दिष्ट करें)</li> </ul>		
7.	कारबार के अंतरण, विलयन की दशा में उस इकाई के आरईजी की विशिष्टियां, जिसमें विलयन,			

	समामेलन, अंतरण आदि किया गया है						
(i)	माल और सेवा कर पहचान संख्या						
(ii)	(क) नाम (विधिक)						
	(ख) व्यापार नाम, यदि कोई हो						
(iii)	कारबार के प्रधान स्थान का पता	भवन संख्या/फ्लैट संख्या					मंजिल
		परिसर/भवन का नाम					सड़क/गली
		शहर/कस्बा/गाँव					जिला
		ब्लॉक/तालुका					
		अक्षांश					देशान्तर
		राज्य					पिन कोड
		मोबाइल (देश कोड के साथ)					टेलीफोन
	ईमेल					फैक्स संख्या	
8.	तारीख जिससे आरईजी रद्द किया जाना है ।					दिन/ मास/वर्ष	
9.	फाइल किए गए अंतिम रिटर्न की विशिष्टियां						
(i)	कर अवधि						
(ii)	आवेदन संदर्भ संख्या						
(iii)	तारीख						
10.	आरईजी के रद्द करने की प्रभावी तारीख को स्टॉक में धारित इनपुट/पूंजी मालों के संबंध में संदेय कर की रकम						
	विवरण	स्टॉक का मूल्य (रु.)		संदेय इनपुट कर/कर (जो भी अधिक हो) (रुपए)			
			केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	इनपुट						
	अर्द्ध तैयार मालों में						

	अंतर्विष्ट इनपुट					
	तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुट					
	पूँजी माल/संयंत्र और मशीनरी					
	योग					

11.	संदत्त कर के ब्यौरे, यदि कोई हो					
रोकड़ खाते से संदाय						

क्रम सं.	नामे प्रविष्टि संख्या	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1.						
2.						
	उप-योग					

आईटीसी खाते से संदाय						
----------------------	--	--	--	--	--	--

क्रम सं.	नामे प्रविष्टि संख्या	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1.						
2.						
	उप-योग					
संदत्त कर की कुल रकम						

12. अपलोड किए गए दस्तावेज	
13. सत्यापन	
<p>मैं/हम सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूँ/ करते हैं कि और यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।</p>	
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर	
स्थान	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
तारीख	पदनाम/प्रास्थिति

### रद्द करने के लिए आवेदन फाइल करने के लिए अनुदेश

- अपने आरईजी को रद्द करने की वांछा करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन, जिसमें इतिशेष स्टॉक और उस पर दायित्व के ब्यौरों के साथ सुसंगत दस्तावेज होंगे, आम पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा ।
- निम्नलिखित व्यक्ति, जो लागू हो, रद्द करने के लिए आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करेंगे :

कारबार का गठन	व्यक्ति जो आवेदन पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकता है
स्वत्वधारिता	स्वत्वधारी
भागीदारी	प्रबंधक/प्राधिकृत भागीदार
हिंदू अविभक्त कुटुंब	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सोसाइटी/क्लब/न्यास/एओपी	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारसाधक व्यक्ति
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
असीमित कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीमित दायित्व भागीदारी	नामनिर्दिष्ट भागीदार
स्थानीय प्राधिकरण	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
कानूनी निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समतुल्य
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य	प्रभारी व्यक्ति

स्वत्वधारी की मृत्यु की दशा में आवेदन संबंधित कर प्राधिकारियों के समक्ष मैन्युअल रूप से उसके विधिक उत्तराधिकारी/उत्तरवर्ती द्वारा किया जाएगा । नई इकाई, जिसमें आवेदक स्वयं का सामामेलन करने का

प्रस्ताव करता है, को कर प्राधिकारी के पास उसके रद्द करने के लिए आवेदन करने से पूर्व रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा । यह आवेदन केवल नई इकाई को रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् ही किया जाएगा । रद्द करने के लिए आवेदन करने से पूर्व उस कर अवधि के लिए कृपया अपनी सम्यक् कर विवरणी फाइल करें, जिसमें आरईजी का अभ्यर्पण करने की प्रभावी तारीख आती है ।

- आवेदन की प्रास्थिति का सामान्य पोर्टल पर पता लगाया जा सकता है ।
- रद्द करने के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई फीस संदेय नहीं है ।
- आरईजी रद्द करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति संदाय करेगा, यदि इस आवेदन को करने के समय नहीं किया गया है तो और अधिनियम में यथाउपबंधित अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा ।
- रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने संपर्क के पते को अपडेट करेगा तथा मोबाइल नंबर और ई-मेल पते को भी अपडेट करेगा ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी - 17

[नियम 22(1) देखिए]

संदर्भ संख्या -

<< तारीख >>

सेवा में

आरईजी संख्या (जीएसटीआईएन/यूआईएन)

(नाम)

(पता)

**आरईजी रद्द करने के लिए कारण बताओ सूचना**

मेरी सूचना में आई जानकारी के आधार पर यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित कारणों से आपका आरईजी रद्द करने का दायी है :-

- 1
- 2
- 3
- ...

? आपको इस सूचना का प्रत्युत्तर इस नोटिस की तामील की तारीख से सात कार्यदिवस के भीतर देने का निदेश दिया जाता है ।

? आपको अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष दिन/ मास/वर्ष को घंटा/मिनट पर उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है

यदि आप उपदर्शित तारीख के भीतर प्रत्युत्तर देने में असफल रहते हैं या या नियत तारीख और समय पर वैयक्तिक सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असमर्थ रहते हैं तो मामले का उपलब्ध अभिलेखों और गुणागुण के आधार पर एकतरफा विनिश्चय किया जाएगा ।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

<अधिकारी का नाम>

पदनाम

अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 18

[नियम 22 (2) देखिए]

आरईजी रद्द करने के लिए जारी कारण बताओ सूचना का प्रत्युत्तर

1.	संदर्भ सूचना की संख्या		जारी करने की तारीख	
2.	जीएसटीआईएन/यूआईएन			
3.	कारबार का नाम (विधिक)			
4.	व्यापार का नाम, यदि कोई हो			
5.	सूचना का प्रत्युत्तर			
6.	अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची			
7.	सत्यापन मैं _____ सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और यह घोषित करता हूं कि यहां ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।  प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर नाम पदनाम/प्रास्थिति  स्थान तारीख			

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 19

[नियम 22 (3) देखिए]

संदर्भ संख्या -

तारीख

सेवा में

नाम

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्या/विशिष्ट पहचान संख्या

आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन)

तारीख

**आरईजी रद्द करने के लिए आदेश**

आपके तारीख ----- के प्रत्युत्तर के संदर्भ में तारीख ..... की कारण बताओं सूचना के संदर्भ में

- और कारण बताओं सूचना का कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है ; या

- और सुनवाई के लिए नियत दिन को आप उपस्थित नहीं हुए थे ; या

- और अचोहस्ताक्षरी ने सुनवाई के समय दिए गए आपके प्रत्युत्तर और दलीलों की जांच की है और उसका यह मत है कि आपका आरईजी निम्नलिखित कारण (कारणों) से रद्द किए जाने का दायी है ।

1.

2.

आपके आरईजी के रद्द किए जाने की प्रभावी तारीख << दिन/मास/वर्ष >> है ।

**रद्दकरण के अनुसरण में संदेय रकम का अवधारण:**

तदनुसार, आपके द्वारा संदेय रकम और उसकी संगणना तथा उसके आधार निम्नानुसार हैं :

पूर्वोक्त संदेय अवधारण की जाने वाली रकम किसी अन्य रकम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, जो आपके द्वारा अंतिम विवरण प्रस्तुत किए जाने पर संदेय हो सकती है ।

आपसे ..... (तारीख) को या उससे पूर्व निम्नलिखित रकमों का संदाय करना अपेक्षित है, जिसके न हो सकने पर रकम की अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी ।

शीर्ष	केंद्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
कर					
ब्याज					
शास्ति					
अन्य					
योग					

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

<अधिकारी का नाम>

पदनाम

अधिकारिता

प्ररूप जीएसटी आरईजी- 20

[नियम 22 (4) देखिए]

संदर्भ संख्या -

तारीख

सेवा में

नाम

पता

जीएसटीआईएन/यूआईएन

कारण बताओं सूचना संख्या

तारीख

**आरईजी को रद्द करने के लिए कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए आदेश**

आपके तारीख ..... की कारण बताओं सूचना दिन/ मास/वर्ष के प्रत्युत्तर के उत्तर को निर्दिष्ट करें। सुनवाई के दौरान दिए गए आपके उत्तर और/या दलीलों पर विचार करने पर आरईजी को रद्द करने के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां निम्नलिखित कारणों से समाप्त की जाती हैं :

<< पाठ >>

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

<अधिकारी का नाम>

पदनाम

अधिकारिता

प्ररूप जीएसटीआरईजी-21

[नियम 23(1)देखें ]

आरईजी के रद्दीकरण के विखंडन के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआरईएन (रद्द)			
2.	विधिक नाम			
3.	व्यापारिक नाम, यदि कोई हों			
4.	पता (कारबार का मूल स्थान)			
5.	रद्दकरण आदेश सं.		तारीख –	
6.	रद्दकरण के कारण			
7.	फाइल की गई अंतिम विवरणी का ब्यौरा			
	विवरणी की अवधि	आवेदन संख्यांक	निदेश	फाइल करने की तारीख
8.	रद्दकरण के विखंडन का कारण	संक्षिप्त में कारण (विस्तृत कारण संलग्नक के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं)		
9.	अपलोड दस्तावेज			
10.	<p>सत्यापन</p> <p>में शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं तथा उसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है ।</p> <p style="text-align: right;">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर पूरा नाम (प्रथम नाम, मध्य, उपनाम) पदनाम/प्रास्थिति</p> <p>स्थान तारीख</p>			

आरईजी के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

- किसी व्यक्ति जिसका आरईजी समुचित अधिकारी द्वारा अपनेआप रद्द कर दिया गया है, समान पोर्टल संख्या आवेदन पर आरईजी के रद्दकरण के आदेश की तारीख से तीस दिन में आरईजी के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन कर सकेगा । यदि आरईजी विवरणी प्रस्तुत

करने में असफल रहने के कारण रद्द हुए हैं तो ऐसी विवरणी प्रस्तुत की जा सकेगी तथा ऐसी विवरणी में कर के रूप में शोध्य कोई रकम ब्याज के लिए संदेय किसी रकम के साथ संदत्त की जाएगी ।

- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोबाइल संख्या या ई-मेल पते में किसी परिवर्तन को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा और इनके आनलाईन सत्यापन के पश्चात् समान पोर्टल के माध्यम से विहित रीति में इनको संशोधित किया जाएगा ।
- समान पोर्टल पर आवेदन की प्रास्थिति देखी जा सकेगी ।
- रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन फाइल करने के लिए कोई शुल्क संदेय नहीं होगा ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी-22

[नियम 23(2) देखें]

संदर्भ सं. -

तारीख

सेवा में

जीएसटीआईएन / यूआईएन

(करदाता का नाम)

(पता)

आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन)

तारीख

**रजिस्ट्रेशन के रद्दकरण के विखंडन के लिए आदेश**

रजिस्ट्रेशन के रद्दकरण के विखंडन के लिए अपने आवेदन तारीख दिन/ मास /वर्ष का संदर्भ लें । आपके आवेदन का परीक्षण किया जा चुका है और उसको सही पाया गया है, आपका आरईजी प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

समुचित अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

(पदनाम)

अधिकारिता –

तारीख

स्थान

**प्ररूप जीएसटी-23**

[नियम 23(3) देखें]

संदर्भ सं. :

तारीख

सेवा में,

आवेदक/करदाता का नाम

आवेदक/करदाता का पता

जीएसटीआईएन

आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन):

तारीख

**आरईजी के रद्दकरण के विखंडन के आवेदन को खारिज करने के लिए कारण बताओ नोटिस**

आरईजी के रद्दकरण के विखंडन के बाबत अपने आवेदन तारीख दिन/मास/वर्ष का संदर्भ लें । आपके आवेदन का परीक्षण किया गया और उसके निम्नलिखित कारणों के कारण खारिज होने योग्य पाया गया :

- 1.
- 2.
- 3.

...

? आपको यह निदेश दिया जाता है कि आप इस नोटिस के तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों में इस नोटिस का उत्तर दें ।

? आपको यह निदेश दिया जाता है कि आप दिन/मास/वर्ष को समय घंटा/मिनट पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों ।

यदि आप निर्धारित समय में अपना उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असफल रहते हैं तो मामला उपलब्ध अभिलेखों और गुणदोषों के आधार पर एकपक्षीय विनिश्चित कर दिया जाएगा ।

हस्ताक्षर

समुचित अधिकारी का नाम

(पदनाम)

अधिकारिता

प्ररूप जीएसटीआरईजी-24

[नियम 23(3)देखें]

आरईजी के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन को खारिज करने के नोटिस का उत्तर

1.	नोटिस की संदर्भ सं.		तारीख	
2.	आवेदन संदर्भ सं. (एआरएन)		तारीख	
3.	जीएसटीआईएन, यदि लागू हों			
4.	सूचना/कारण			
5.	फाइल दस्तावेजों की सूची			
6.	सत्यापन में _____ शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं तथा उसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है ।  प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर पूरा नाम पदनाम/प्रास्थिति  तारीख  स्थान			



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

प्ररूप जीएसटी आरईजी-25

[नियम 24(1)देखें]

**अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र**

1.	अनंतिम पहचान		
2.	स्थायी खाता संख्यांक		
3.	विधिक नाम		
4.	व्यापारिक नाम		
5.	विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण ब्यौरे		
	अधिनियम	रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
(क)			
(ख)			
(ग)			
तारीख	<प्रमाणपत्र के सृजन की तारीख>	स्थान	<राज्य>

अनंतिम रजिस्ट्रेशन का यह प्रमाणपत्र अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किया गया है ।

**प्ररूप जीएसटी आरईजी -26**  
(नियम 24(2) देखे)

विद्यमान करदाता के नामांकन के लिए आवेदन			
करदाता का ब्यौरा			
1. अनंतिम पहचान			
2. विधिक नाम (स्थायी खाता सं. अनुसार)			
3. विधिक नाम (राज्य/केन्द्र के अनुसार)			
4. व्यापारिक नाम, यदि कोई है			
5. कारबार का स्थायी खाता सं०			
6. गठन			
7. राज्य			
7अ. सेक्टर, सर्किल, वार्ड इत्यादि, जो लागू हों			
7आ. अधिकारिता केन्द्र			
8. रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए दायित्व का कारण	पूर्ववर्ती विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण		
9. विद्यमान रजिस्ट्रीकरण			
क्रम सं.	रजिस्ट्रीकरण का प्रकार	रजिस्ट्रीकरण संख्या	रजिस्ट्रीकरण की तारीख
1	मूल्य वर्धित कर के अधीन टिन		
2	केन्द्रीय विक्रयकर रजिस्ट्रीकरण सं.		
3	प्रविष्टि कर रजिस्ट्रीकरण सं.		
4	मनोरंजन कर रजिस्ट्रीकरण सं.		
5	होटल और लगजरी कर रजिस्ट्रीकरण सं.		
6	केन्द्रीय उत्पाद रजिस्ट्रीकरण सं.		

7	सेवा कर रजिस्ट्रीकरण सं.		
8	कारपोरेट पहचान सं./विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण		
9	सीमित दायित्व साझेदारी पहचान सं. / विदेशी सीमित दायित्व साझेदारी पहचान सं.		
10	आयात/निर्यातक कोड सं.		
11	ओषधिय और प्रसाधन पर उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण		
12	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		

10. कारबार के मूल स्थान का ब्यौरा

भवन सं. /फ्लैट सं.		तल सं.	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
स्थान/ग्राम		जिला	
राज्य		पिन कोड	
अक्षांश		देशान्तर	

संपर्क सूचना

कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष सं.	
मोबाइल सं.		कार्यालय फैक्स सं.	

10अ. परिसर के कब्जे की प्रकृति (अपनी, पट्टे पर, किराए पर, सहमति से, साझेदारी)

10आ. किए जाने वाले कारबार क्रियाक्लापों की प्रकृति

फैक्ट्री/निर्माण	<input type="radio"/>	थोक कारबार	<input type="radio"/>	खुदरा कारबार	<input type="radio"/>	भंडागार/डिपो	<input type="radio"/>
बांडेड भंडागार	<input type="radio"/>	सेवा उपबंध	<input type="radio"/>	कार्यालय/विक्रय कार्यालय	<input type="radio"/>	पट्टा कारबार	<input type="radio"/>
सेवा प्राप्तकर्ता	<input type="radio"/>	ईओयू/एसटीपी/ईए चटीपी	<input type="radio"/>	एस ई जैड	<input type="radio"/>	निवेश सेवा वितरक	<input type="radio"/>
संकर्म संविदा	<input type="radio"/>	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	<input type="radio"/>				

11. कारबार के अतिरिक्त स्थानों का ब्यौरा					
भवन सं. /फ्लैट सं.		फ्लैट सं.			
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली			
स्थान/ग्राम		जिला			
राज्य		पिन कोड			
अक्षांश		देशान्तर			
संपर्क सूचना					
कार्यालय ई-मेल पता		कार्यालय दूरभाष सं.			
मोबाइल सं.		कार्यालय फैक्स सं.			
11अ. परिसर के कब्जे की प्रकृति		(अपनी, पट्टे पर, किराए पर, सहमति से, साझेदारी)			
11आ. किए जाने वाले कारबार क्रियाकलापों की प्रकृति					
फैक्ट्री/निर्माण	<input type="radio"/>	थोक कारबार	<input type="radio"/>	फैक्ट्री/निर्माण	<input type="radio"/>
थोक कारबार	<input type="radio"/>	बांडेड भंडागार	<input type="radio"/>	सेवा उपवहन	<input type="radio"/>
बांडेड भंडागार	<input type="radio"/>	सेवा प्राप्तकर्ता	<input type="radio"/>	ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी	<input type="radio"/>
सेवा प्राप्तकर्ता	<input type="radio"/>	ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी	<input type="radio"/>	कार्य संविदा	<input type="radio"/>
कार्य संविदा	<input type="radio"/>	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	<input type="radio"/>	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	<input type="radio"/>
और जोड़ें					
कारबार द्वारा प्रदाय किए जाने वाला माल/सेवा का ब्यौरा					
क्रम सं.	माल का ब्यौरा			एचएसएन कोड	
क्रम सं.	सेवा का ब्यौरा			एचएसएन कोड	
13. कारबार चलाने के लिए आपके द्वारा रखे गए कुल बैंक खाते					
क्रम सं.	खाता सं.	खाता का	आईएफएससी	बैंक का नाम	शाखा का खाता

		प्रकार			

14. मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि के ब्यौरे

नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	फोटो
पिता/पति का नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	
जन्म तिथि	दिन/मास/वर्ष	लिंग	पुरुष, स्त्री, अन्य	
मोबाईल सं.		ई-मेल पता		
टेलीफोन सं.				

पहचान सूचना

पदनाम	निदेशक पहचान सं.	
स्थायी खाता संख्या	आधार सं.	
क्या आप भारत के नागरिक हैं	हां या नहीं	पासपोर्ट सं.
निवास का पता		
भवन/फ्लैट सं.	तल सं.	
परिसर/भवन का नाम	सड़क/गली	
स्थान/ग्राम	जिला	
राज्य	पिन कोड	

15. प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे

नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	फोटो
पिता/पति का नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	
जन्म तिथि	दिन/मास/वर्ष	लिंग	पुरुष, स्त्री, अन्य	
मोबाईल सं.		ई-मेल पता		
टेलीफोन सं.				

पहचान सूचना			
पदनाम		निदेशक पहचान सं.	
स्थायी खाता संख्या		आधार सं.	
क्या आप भारत के नागरिक हैं	हां या नहीं	पासपोर्ट सं.	
निवास का पता			
भवन/फ्लैट सं.		तल सं.	
परिसर/भवन का नाम		सड़क/गली	
स्थान/ग्राम		जिला	
राज्य		पिन कोड	
और जोड़ें			
<p>अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची</p> <p>दस्तावेजों की पारंपरिक सूची जिनका प्ररूप में क्षेत्रमूल्य के अनुसार अपलोड किया जाना अपेक्षित है, सूची में (अनुदेश देखें) में प्रत्येक प्रविष्टि के सामने अपलोड सुसंगत दस्तावेज के लिए उपबंध के साथ स्वतः आ जाने चाहिए । 16. में, प्ररूप में प्रदत्त आधार संख्याओं के धारकों के निमित्त माल और सेवाकर नैटवर्क को अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए यूआईडीएआई से ब्यौरें प्राप्त करने की सहमति देता हूं । माल और सेवाकर नैटवर्क ने मुझे सूचित कर दिया है कि पहचान सूचना आधार धारक की पहचान को वैधता के लिए प्रयोग किया जाएगा तथा अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए ही केन्द्रीय पहचान डाटा रक्षण के साथ साझा की जाएगी ।</p>			
<p>17. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है तथा इसमें कुछ नहीं छिपाया गया है ।</p>			
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नाम		स्थान	
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम		तारीख	

नामांकन के लिए आवेदन को फाइल करने के लिए अनुदेश

1. प्रत्येक व्यक्ति, स्रोत पर कर कटौती करने वाले से भिन्न या निवेश सेवा वितरक जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं और आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी लेखा सं. रखता है, उसके ई-मेल और मोबाइल सं. वैधता द्वारा समान पोर्टल पर नामांकित किया जाएगा ।

2. खंड (क) के अधीन नामांकन पर उक्त व्यक्ति को अनंतिम आधार पर आरईजी प्रमाणपत्र प्रदत्त किया जाएगा और प्ररूप जी. एस. टी. आर. ई. जी. 25 में आरईजी प्रमाणपत्र जिसमें माल और सेवाकर पहचान सं. होगी को समान पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

3. अधिप्रमाणन प्ररूप –

आवेदन प्ररूप में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए अधिप्रमाणन या प्रबंध समिति या बोर्ड निदेशकों के संकल्प प्रति निम्नलिखित फोरमेट में फाइल की जाएगी ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए घोषणा (प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के लिए पृथक)

1.

(मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि के ब्यौरे)

1. मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि के ब्यौरे

2.

3.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि माल और सेवा पहचान सं. – कारबार का नाम, कारबार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करता हूं जिसके लिए माल और सेवा कर अधिनियम, 20 – के अधीन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन फाइल किया जाना है /रजिस्ट्रीकृत है ।

इस कारोबार के संबंध में उसके सभी कृत्य मुझ /हम पर बाध्यकारी हैं ।

व्यक्तियों के हस्ताक्षर जो मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि हैं ।

क्रम सं.	पूरा नाम	पद /प्रास्थिति	हस्ताक्षर
----------	----------	----------------	-----------

1.

2.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में स्वीकृति

मैं प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम शपथपूर्वक ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर बाध्यकारी होंगे ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

पदनाम/प्रास्थिति

तारीख

स्थान

आनलाईन प्ररूप भरने के लिए अनुदेश

- जीएसटी पोर्टल पर लाग इन के लिए राज्य/वाणिज्यकर /केन्द्रीय उत्पाद/सेवाकर विभाग द्वारा यथा प्रदत्त अपनी अनंतिम पहचान और पासवर्ड प्रविष्ट करें ।
- प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सही ई-मेल, पता और मोबाइल सं. दिए जाएं । ई-मेल पता और मोबाइल पते प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सम्पर्क सूचना के रूप में भरे जाएं ।
- पृथक वन टाइम पासवर्ड द्वारा सत्यापित किए जाएं । करदाता प्रथम लाग इन के पश्चात् अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड बदल लेगा ।
- करदाता को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड कारबार का मूल स्थान और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के व्यौरों के संबंध में आवेदन प्ररूप में अपेक्षित सूचनाएं भरना अपेक्षित होगा ।
- माल और सेवाओं (ऊपर की पांच) के संबंध में सेवाओं के लिए कारबार के अतिरिक्त, बैंक खाता वस्तुओं से संबंधित सूचना भरी जाना भी अपेक्षित है ।
- आवेदक को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई कापी अपलोड करना आवश्यक है ।
- विनिर्दिष्ट संलग्नक के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में घोषित करने की दशा में आवेदक को मालिक/सभी साझेदार/कर्ता/प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक/संगम की प्रबंध समिति के सदस्य/न्यासी बोर्ड इत्यादि द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की स्कैन की गई कापी अपलोड करना आवश्यक है ।
- साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित अपेक्षित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे –

1.	<p>आवेदन प्ररूप में जहां फोटोग्राफ विनिर्दिष्ट हों (अधिकतम दस)</p> <p>मालिकाना संबंध- मालिक</p> <p>साझेदारी फर्म /सीमित दायित्व साझेदारी - प्रबंध /प्राधिकृत साझेदार (सभी साझेदारों के वैयक्तिक व्यौरें दिए जाएं लेकिन केवल दस फोटो दिए जाएं जिसमें प्रबंध साझेदार को दिए जाने वाले भी सम्मिलित हैं ।</p> <p>हिन्दू अविभक्त कुटुंब - कर्ता</p> <p>कंपनी – प्रबंध निदेशक या प्राधिकृत व्यक्ति</p> <p>न्यास –प्रबंध न्यासी</p>
----	--

	<p>व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि का निकाय – प्रबंध समिति के सदस्य (सभी सदस्यों के वैयक्तिक ब्यौरे दिए जाएं लेकिन केवल दस फोटो दिए जाएं जिसमें अध्यक्ष को दिए जाने वाले भी सम्मिलित हैं ।)</p> <p>स्थानीय निकाय – मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके समतुल्य</p> <p>कानूनी निकाय</p> <p>मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके समतुल्य</p> <p>अन्य – कार्यसाधक व्यक्ति</p>
2.	<p>कारबार का गठन – साझेदारी फर्म की दशा में साझेदारी विलेख, समिति, न्यास, क्लब, सरकारी विभाग, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टि का निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निकाय और अन्य इत्यादि में गठन का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र /सबूत ।</p>
3.	<p>कारबार के मूल /अतिरिक्त स्थान का सबूत</p> <p>(क) अपने परिसर के लिए –</p> <p>परिसर के स्वामित्व के समर्थन में कोई दस्तावेज जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या म्युनिसिपल खाता प्रति या विल की प्रति</p> <p>(ख) किराए या पट्टे के परिसर के लिए –</p> <p>पट्टे के परिसर के स्वामित्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित वैध किराए /पट्टा करार की प्रति जैसे नवीनतम संपत्ति कर रसीद या म्युनिसिपल खाता प्रति या विल की प्रति</p> <p>(ग) उपरोक्त क और ख में न आने वाले परिसर के लिए –</p> <p>सहमतिकर्ता के परिसर के स्वामीत्व के समर्थन में किसी दस्तावेज सहित सहमति पत्र की प्रति जैसे म्युनिसिपल खाता प्रति या विद्युत बिल प्रति । साझेदार संपत्तियों के लिए ये दस्तावेज भी अपलोड किए जाएंगे</p>
4	<p>बैंक खाते से संबंधित सबूत</p> <p>बैंक पासबुक/बैंक विवरण के प्रथम पृष्ठ की स्केन की हुई प्रति</p> <p>बैंक पासबुक के शुरुआती पृष्ठ जिसमें मालिक/संबंधित कारबार, खाता सं., खाता धारक का नाम, एमआईसीआर और आईएफएससी और शाखा ब्यौरे हों ।</p>
5	<p>प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए – प्रबंध समिति या बोर्ड निदेशकों का प्राधिकरण पत्र या संकल्प की प्रति जो इस प्रभाव हेतु विनिर्दिष्ट हों</p>

- सूचना इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के पश्चात् अपेक्षित होगी । निम्नलिखित व्यक्ति नामांकन के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं -

कारबार का गठन	व्यक्ति जो आवेदन पर डिजिटल हस्ताक्षर कर सकते हैं
स्वामित्व	स्वामी
साझेदारी	प्रबंध/प्राधिकृत साझेदार
हिन्दु अविभक्त परिवार	कर्ता
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पब्लिक लिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
समिति /क्लब /न्यास/एओपी	प्रबंध समिति के सदस्य
सरकारी विभाग	भारसाधक व्यक्ति
लोक सैक्टर उपक्रम	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अनलिमिटेड कंपनी	प्रबंध/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीमित दायित्व भागीदारी	पदाविहित साझेदार
स्थानीय प्राधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
संवैधानिक निकाय	मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष
विदेशी कंपनी	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी Partnership	भारत में प्राधिकृत व्यक्ति
अन्य	भारसाधक व्यक्ति

- आवेदन अनिवार्य रूप से डिजीटल हस्ताक्षरित निम्नलिखित रूप में होने चाहिए -

क्रम सं.	आवेदक का प्रकार	डिजीटल हस्ताक्षर अपेक्षित हैं
1.	प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी लोक सेंक्टर उपक्रम अनलिमिटेड कंपनी सीमित दायित्व भागीदारी विदेशी कंपनी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी	डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) वर्ग 2 और उपरोक्त
2.	उपरोक्त से भिन्न	डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) वर्ग 2 और उपरोक्त ई-हस्ताक्षर

नोट :- 1. आवेदक से समान पोर्टल पर अपने डीएससी. को रजिस्ट्रीकृत करना अपेक्षित होगा ।

2. ई-हस्ताक्षर सुविधा आधार धारकों के लिए समान पोर्टल पर उपलब्ध होगी ।

स्थायी लेखा सं., आधार, निदेशक, पहचान सं., चालान, पहचान सं., सीमित दायित्व भागीदारी पहचान सं. से संबंधित सभी सूचनाएं सिस्टम द्वारा आनलाईन विधिमान्य किया जाएगा और पावती निदेश संख्या भरी गई सभी सुचनाओं के सफलतापूर्वक विधिमान्य होने के पश्चात् सृजित होंगी । आनलाईन भरे गए आवेदन की प्रास्थिति समान पोर्टल पर देखी जा सकेगी ।

1. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अवयस्क नहीं होना चाहिए ।
2. नामांकन के लिए आवेदन भरने हेतु कोई शुल्क लागू नहीं होगा ।

अभिस्विकृति

नामांकन आवेदन – जी. एस. टी. प्ररूप – आवेदन संदर्भ संख्या (ए. आर. एन.)----- के विरुद्ध फाइल की गई

प्ररूप सं. : <.....>

प्ररूप विवरण : <विद्यमान करदाताओं के नामांकन के लिए आवेदन>

फाइल करने की तारीख : <दिन/मास/वर्ष>

करदाता का व्यापारिक नाम : <व्यापारिक नाम>

करदाता का विधिक नाम : <राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा विधिक नाम

अनंतिम पहचान सं. अनंतिम पहचान सं.

यह सिस्टम से सृजित पावती है और इसमें हस्ताक्षर होना अपेक्षित नहीं है ।

प्ररूप जीएसटी आरईजी-27

(नियम 24(3) देखें)

संदर्भ सं.  
सेवा में,  
अनंतिम पहचान  
नाम  
पता

<तारीख-दिन/मास/वर्ष>>

आवेदन संदर्भ सं. (ए.आर.एन.) < >

<तारीख-दिन/मास/वर्ष>>

**अनंतिम आरईजी के रद्दकरण के लिए कारण बताओ नोटिस**

अपने आवेदन तारीख .....का संदर्भ लें । आवेदन का परीक्षण किया गया और निम्नलिखित कारणों से यह संतोषप्रद नहीं पाया गया:-

1  
2  
...

आपको यह निदेश दिया जाता है कि आपको प्रदत्त अनंतिम प्रमाणपत्र क्यों न रद्द कर दिया जाए, बताएं ।

हस्ताक्षर

समुचित प्राधिकारी का नाम

पदनाम

अधिकारिता

तारीख  
स्थान

प्ररूप जीएसटी आरईजी-28

(नियम 24(3) देखें)

संदर्भ सं.

<तारीख-दिन/मास/वर्ष>>

सेवा में,

पहचान

नाम

पता

माल और सेवा कर पहचान सं./अनंतिम पहचान

आवेदन संदर्भ सं. (ए.आर.एन.) < >

<तारीख-दिन/मास/वर्ष>>

**अनंतिम आरईजी के रद्दकरण के लिए आदेश**

कारण बताओ नोटिस तारीख..... के संबंध में आपके उत्तर तारीख ..... के संदर्भ में

--

- कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं दिया गया है; या
- सुनवाई के लिए नियत दिन पर आप उपस्थित नहीं हुए; या
- अधोहस्ताक्षरी ने आपके उत्तर और सुनवाई के समय किए गए कथनों का परीक्षण किया और उनका विचार यह है कि आपका अनंतिम रजस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से रद्द किए जाने का दायी है ।

- 1.
- 2.

**अनंतिम आरईजी के रद्दकरण के अनुसरण में संदेय रकम का अवधारण**

तदनुसार आपके द्वारा संदेय रकम और उसकी संगणना तथा उसके आधार निम्नलिखित हैं:

आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि निम्नलिखित रकम तारीख ..... तक या उससे पूर्व संदेय करें जिसके असफल होने पर रकम इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए हुए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में वसूल की जाएगी ।

शीर्ष	केन्द्रीय कर	राज्य कर	संघ राज्य कर	समेकित कर	उपकर
कर					
ब्याज					
शास्ति					
अन्य					
कुल					

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

< अधिकारी का नाम >

पदनाम

अधिकारिता

प्ररुप जी.एस.टी. आरईजी-29

[नियम 24(4) देखें]

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन

भाग अ

(i) अनंतिम आई डी	
(ii) ईमेल आई डी	
(iii) मोबाईल नंबर	
<b>भाग आ</b>	
1. विधिक नाम (स्थाई खाता संख्या के अनुसार)	
2. पत्र-व्यवहार के लिए पता	
भवन संख्या/ फ्लैट सं.	तल सं.
परिसर का नाम/भवन	सड़क/गली
शहर/कस्बा / गांव/परिक्षेत्र	जिला
ब्लाक/ताल्लुका	
राज्य	3. रद्दकरण के लिए कारण
1. जी.एस.टी अवधि के दौरान किसी कर बीजक को आपने हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	
जारी किया है	
2. घोषणा	
(i) मैं <स्वत्वधारी/कर्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>, < विधिक नाम> के <पदनाम> के रूप में एतद्वारा घोषणा करता हूं कि अधिनियम के उपबंधों के अधीन मैं आरईजी के लिए दायी नहीं हूं ।	
6.सत्यापन	
मैं <> सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि यहां उपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।	
आधार सं.	स्थाई खाता सं.
प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर	
पूरा नाम	

पदनाम/प्रास्थिति	
स्थान	
तारीख	तारीख/मास/वर्ष

प्ररुप जी.एस.टी. आरईजी-30

[नियम 25 देखें]

क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्ररुप

केन्द्रीय अधिकारिता (वार्ड/सर्किल/जोन)

अधिकारी का नाम:- <<पहले से भरा जाए >>

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख:-

करादेय व्यक्ति का नाम

जी एस टी आई एन/यू आई एन -

द्वारा समनुदेशित कार्य:- < अधिकारी का नाम- पहले भरा जाए >

समनुदेशित कार्य की तारीख और समय:- < प्रणाली तारीख और समय >

क्रम सं.	विशिष्टियां	ईनपुट
1.	निरीक्षण की तारीख	
2.	निरीक्षण का समय	
3.	अवस्थान ब्यौरा	
	उत्तर-द्वारा आबद्ध	दक्षिण- द्वारा आबद्ध
	पश्चिम- द्वारा आबद्ध	पूर्व- द्वारा आबद्ध
4.	क्या पता वहीं है जैसा आवेदन में वर्णित है	हां/नहीं
5.	निरीक्षण के समय उपलब्ध व्यक्ति की विशिष्टियां	
(i)	नाम	
(ii)	पिता का नाम	
(iii)	आवासीय पता	
(iv)	मोबाईल संख्या	
(v)	पदनाम/प्रतिष्ठा	
(vi)	करादेय व्यक्ति के साथ संबंध, यदि लागू हो	
6.	कारबार की कार्यकरण की प्रास्थिति	कार्यकरण- हां/नहीं
7.	परिसर का ब्यौरा	
	खुली जगह का क्षेत्र (वर्ग मी. में) - (लगभग)	
	छतदार जगह का क्षेत्र (वर्ग मी. में) - (लगभग)	

	तल जिस पर कारबार परिसर स्थित है	
8.	स्थापित दस्तावेज	हां/नहीं
9.	स्थान के साथ व्यक्ति, जो उस स्थान पर मौजूद है जहां स्थल का सत्यापन किया गया, का फोटो अपलोड करना ।	
10.	टिप्पणी(100 शब्दों<से अनधिक> स्थान: तारीख:  <p style="text-align: center;"><b>हस्ताक्षर</b> &lt;अधिकारी का नाम&gt;</p> <p style="text-align: right;">पदनाम</p> <p style="text-align: center;">अधिकारिता</p>	

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)

अवर सचिव, भारत सरकार